

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.	13]	नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 21, 2013/माघ 1, 1934
No.	13]	NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 21, 2013/MAGHA 1, 1934

भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 21 जनवरी, 2013

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] विनियम, 2013

सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/31/1778.—भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

अध्याय-I

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- 1. (1) इन विनियमों **को भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड** [विनिधान (निवेश) सलाहकार] विनियम, 2013 कहा जा सकेगा ।
 - (2) वे विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से नब्बेवें दिन को प्रवृत्त होंगे।

परिभाषाएँ

- 2. (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इसमें परिभाषित शब्दों के वही अर्थ होंगे जो नीचे उनके लिए नियत हैं, और उनके सजातीय पदों का अर्थ तदनुसार लगाया जायेगा, -
 - (क) "अधिनियम" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) अभिप्रेत है ;
 - (ख) "बोर्ड" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अभिप्रेत हैं ;
 - (ग) "निगमित निकाय" (या "निगम निकाय") का अर्थ वह होगा जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 2 की उप-धारा (7) में या के अधीन इसके लिए नियत है;
 - (घ) "प्रमाणपत्र" से इन विनियमों के अधीन प्रदान किया गया रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्रेत है ;
 - (ङ) नियंत्रण में परिवर्तन", कंपनी या निगमित निकाय के संबंध में, से अभिप्रेत है :
 - (i) यदि इसके शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं, तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ङ) के अर्थ के भीतर नियंत्रण में परिवर्तन;
 - (ii) किसी अन्य मामले में, नियंत्रक हित में परिवर्तन या विधिक रूप में परिवर्तन। रपष्टीकरण उप-खंड (ii) के प्रयोजन के लिए, पद "नियंत्रक हित" से हित, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, मताधिकारों या हित के पचास प्रतिशत से अधिक तक का, अभिप्रेत है;
 - (च) "कंपनी" से कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित कंपनी अभिप्रेत है ;
 - (ह्य) "प्रतिफल" से किसी भी स्वरूप का आर्थिक फायदा अभिप्रेत है जिसमें गैर-नकदी फायदा सम्मिलित है, जो विनिधान (निवेश) सलाह दिये जाने हेतु प्राप्त या प्राप्य हो;
 - (ज) "वित्तीय योजना" के अंतर्गत ग्राहक की वर्तमान वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करना, उनके वित्तीय लक्ष्यों को पहचानना, और ऐसे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वित्तीय युक्तियाँ बनाना तथा उनकी सिफारिश करना सम्मिलित होगा;

- (झ) "फर्म" से भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अधीन रिजस्ट्रीकृत भागीदारी फर्म अभिप्रेत है ;
- (ञ) "प्ररूप" से पहली अनुसूची में दिए हुए प्ररूपों में से कोई प्ररूप अभिप्रेत है;
- (ट) "निरीक्षण प्राधिकारी" से विनियम 23 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त कोई एक व्यक्ति या अधिक व्यक्ति अभिप्रेत हैं;
- (ठ) "विनिधान सलाह" (या "विनिधान (निवेश) सलाह") से ग्राहक के फायदे के लिए प्रतिभूतियों या विनिधान (निवेश) उत्पादों (प्रोडक्ट्स) में विनिधान (निवेश) करने, को खरीदने, बेचने या में अन्यथा व्यौहार करने संबंधी सलाह, और विनिधान (निवेश) पोर्टफोलियो जिसमें प्रतिभूतियाँ या विनिधान (निवेश) उत्पाद अंतर्विष्ट हों, संबंधी सलाह अभिप्रेत है, चाहे लिखित हो, मौखिक हो या संचार के क़िसी भी अन्य साधन के माध्यम से हो, और जिसके अंतर्गत वित्तीय योजना सम्मिलित होगी:

परंतु यह कि ग्राहकों से बिना किसी प्रतिफल के, समाचारपत्र, पत्रिकाओं, किसी इलैक्ट्रोनिक या प्रसारण या दूरसंचार माध्यम के जरिये, दी गयी विनिधान (निवेश) सलाह, जो व्यापक रूप से जनता के लिए उपलब्ध हो, इन विनियमों के प्रयोजन के लिए विनिधान (निवेश) सलाह नहीं मानी जायेगी;

- (ड) "विनिधान सलाहकार" (या "विनिधान (निवेश) सलाहकार") से वह कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो प्रतिफल के लिए, ग्राहकों या अन्य व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह को विनिधान (निवेश) सलाह देने के कामकाज में लगा हो, और जिसमें कोई वह व्यक्ति सम्मिलित है जो स्वयं को विनिधान (निवेश) सलाहकार, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाये, के रूप में प्रकट करता है;
- (ढ) "सीमित दायित्व भागीदारी" से सीमित दायित्व भागदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) के अधीन बनायी गयी और रजिस्ट्रीकृत भागीदारी अभिप्रेत है;
- (ण) "गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी" (या "एनबीएफसी") से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी अभिप्रेत है ;
- (त) "राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान" (या "एनआईएसएम") से बोर्ड द्वारा स्थापित राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान अभिप्रेत है ;
- (थ) "भागीदार" से फर्म या सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार अभिप्रेत है जो फर्म या सीमित दायित्व भागीदारी की ओर से विनिधान (निवेश) सलाह देता है;

- (द) "प्रतिनिधि" से विनिधान (निवेश) सलाहकार का कर्मचारी या एजेंट अभिप्रेत है जो उस विनिधान (निवेश) सलाहकार की ओर से विनिधान (निवेश) सलाह देता है।
- (2) इन विनियमों में उपयोग किये गये तथा अपरिभाषित किन्तु अधिनियम, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42), कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1), अथवा उनके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या विनियमों में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो, यथास्थिति, उन अधिनियमों, उनके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों अथवा उनके किसी कानूनी उपांतर या पुन:अधिनियमिति में क्रमशः उनके लिए नियत हों।

अध्याय II

विनिधान (निवेश) सलाहकारों का रजिस्ट्रीकरण

प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने के लिए आवेदन

3. (1) इन विनियमों के प्रारंभ से ही, कोई व्यक्ति विनिधान (निवेश) सलाहकार के रूप में कार्य नहीं करेगा या स्वयं को विनिधान (निवेश) सलाहकार के रूप में प्रकट नहीं करेगा जब तक कि उसने इन विनियमों के अधीन बोर्ड से रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त न कर लिया हो :

परंतु यह कि इन विनियमों के प्रारंभ से ठीक पहले विनिधान (निवेश) सलाहकार के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति ऐसे प्रारंभ से छह महीनों की अवधि के लिए या, यदि इसने उक्त छह महीनों की उक्त अवधि के भीतर उप-विनियम (2) के अधीन प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया हो, तो ऐसे आवेदन का निपटारा होने तक ऐसा करना जारी रख सकेगा:

(2) रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने के लिए आवेदन इन विनियमों की पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट प्ररूप क में किया जायेगा और जिसके साथ अप्रतिदेय आवेदन फीस संलग्न होगी जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से अदा की जायेंगी।

रजिस्ट्रीकरण से छूट

4. निम्नलिखित व्यक्तियों से विनियम 3 के अधीन रजिस्ट्रीकरण चाहना अपेक्षित नहीं होगा, उसके लिए नियत शर्तों को पूरा किये जाने के अध्यधीन, -

- (क) कोई व्यक्ति जो वित्तीय अथवा प्रतिभूति बाजार के रुख या आर्थिक स्थिति के संबंध में सद्भावपूर्वक साधारण टिप्पणियाँ देता है जहाँ ऐसी टिप्पणियाँ किन्हीं विशिष्ट प्रतिभूतियों या विनिधान (निवेश) उत्पाद को विनिर्दिष्ट न करें;
- (ख) कोई बीमा अभिकर्ता (एजेंट) या बीमा दलाल जो केवल बीमा उत्पादों के संबंध में ही विनिधान (निवेश) सलाह देता है और जो ऐसे क्रियाकलाप हेतु बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकृत है;
- (ग) कोई पेंशन सलाहकार जो केवल पेंशन उत्पादों के संबंध में ही विनिधान (निवेश) सलाह देता है और जो ऐसे क्रियाकलाप हेतु पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकृत है;
- (घ) पारस्परिक निधियों का कोई वितरक, जो बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त स्व-विनियामक संगठन का सदस्य है या पारस्परिक निधियों की आस्ति प्रबंध कंपनियों के संगम के पास रजिस्ट्रीकृत है, जो अपने ग्राहकों को विनिधान (निवेश) सलाह दे रहा हो जो इसके प्राथमिक क्रियाकलाप से आनुषंगिक हो;
- (ङ) कोई अधिवक्ता, सालिसिटर या विधि-फर्म, जो अपने ग्राहकों को विनिधान (निवेश) सलाह देते हैं जो उनके विधि व्यवसाय से आनुषंगिक हो ;
- (च) भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, भारत का लागत और संकर्म लेखापाल संस्थान, एक्च्युएरिअल सोसाइटी ऑफ इंडिया या किसी अन्य व्यावसायिक (वृत्तिक) निकाय जैसा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये का सदस्य, जो अपने ग्राहकों को विनिधान (निवेश) सलाह देता है, जो उसकी व्यावसायिक (वृत्तिक) सेवा से आनुषंगिक हो;
- (छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992 के अधीन रिजस्ट्रीकृत कोई स्टॉक दलाल या उप-दलाल, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संविभाग (पोर्टफोलियो) प्रबंधक) विनियम, 1993 के अधीन रिजस्ट्रीकृत संविभाग (पोर्टफोलियो) प्रबंधक या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) विनियम, 1992 के अधीन रिजस्ट्रीकृत मर्चेंट बैंककार, जो अपने ग्राहकों को विनिधान (निवेश) सलाह देता है, जो उनके प्राथमिक क्रियाकलाप से आनुषंगिक हो:

परंतु यह कि ऐसे मध्यवर्ती इन विनियमों के अध्याय ॥। में यथा विनिर्दिष्ट साधारण बाध्यताओं और जिम्मेदारियों का अनुपालन करेंगे :

परंतु यह और कि विद्यमान संविभाग (पोर्टफोलियो) प्रबंधक, केवल विनिधान (निवेश) सलाहकार सेवाएं देने वाला, संविभाग (पोर्टफोलियो) प्रबंधक के रूप में अपने वर्तमान

- रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के समाप्त होने के पश्चात् इन विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकेगा;
- (ज) पारस्परिक निधि, आनुकिल्पक विनिधान (निवेश) निधि या बोर्ड से रिजस्ट्रीकृत किसी अन्य मध्यवर्ती या एंटिटी का कोई निधि प्रबंधक, चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाये ;
- (झ) कोई व्यक्ति जो विनिधान (निवेश) सलाह अनन्य रूप से भारत के बाहर वाले ग्राहकों को देता है:
 - परंतु यह कि अनिवासी भारतीय या भारतीय उद्भव के व्यक्ति को विनिधान (निवेश) सलाह देने वाले व्यक्ति इन विनियमों के भीतर आयेंगे;
- (ञ) विनिधान (निवेश) सलाहकार जो इन विनियमों के अधीन रिजस्ट्रीकृत है का कोई प्रतिनिधि और भागीदार :
 - परंतु यह कि ऐसा प्रतिनिधि और भागीदार इन विनियमों के विनियम 7 का अनुपालन करेगा :
- (ट) कोई अन्य व्यक्ति जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।

अतिरिक्त जानकारी, स्पष्टीकरण देना और व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व

- 5. (1) बोर्ड आवेदक से विनियम 3 के उप-विनियम (2) के अधीन दाखिल किये गये आवेदन पर विचार करने के प्रयोजनार्थ विनिधान (निवेश) सलाहकार सेवाओं से सुसंगत बातों के संबंध में अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण देने की अपेक्षा कर सकेगा।
 - (2) आवेदक या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि, यदि ऐसा अपेक्षित हो तो, व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व के लिए बोर्ड के समक्ष हाजिर होगा।

आवेदन पर विचार और पात्रता मानदंड

- 6. प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने के प्रयोजन के लिए, बोर्ड सभी बातों, जो रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने से सुसंगत हैं, और विशिष्टतया निम्नलिखित पर विचार करेगा, अर्थात्, -
 - (क) क्या आवेदक व्यष्टि है या निगमित निकाय है या फर्म है ;
 - (ख) यदि आवेदक व्यष्टि है, तो क्या वह समुचित रूप से अर्हित और प्रमाणित है जैसा विनियम 7 में विनिर्दिष्ट है;

- (ग) यदि आवेदक निगमित निकाय है, तो क्या आवेदक जो विनिधान (निवेश) सलाह देता है के सभी प्रतिनिधि समुचित रूप से अर्हित और प्रमाणित हैं जैसा विनियम 7 में विनिर्दिष्ट है;
- (घ) यदि आवेदक फर्म या सीमित दायित्व भागीदारी है, तो क्या सभी भागीदार जो विनिधान (निवेश) सलाह देने में लगे हुए हैं, अर्हित और प्रमाणित हैं जैसा विनियम 7 में विनिर्दिष्ट है;
- (ङ) क्या आवेदक विनियम 8 में यथा विनिर्दिष्ट पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं को पूरा करता है :
- (च) क्या आवेदक, इसके प्रतिनिधि और भागीदार, यदि कोई हों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 की अनुसूची II में यथा विनिर्दिष्ट मानदंड के आधार पर उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति हैं;
- (छ) क्या आवेदक के पास विनिधान (निवेश) सलाहकार के क्रियाकलापों के प्रभावी रूप से निर्वहन के लिए आवश्यक अवसंरचना है ;
- (ज) क्या आवेदक या आवेदक से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संबद्ध किसी व्यक्ति को पहले कभी बोर्ड द्वारा प्रमाणपत्र से इंकार किया गया है, और यदि ऐसा है तो ऐसे इंकार का आधार ;
- (झ) क्या बोर्ड या किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण द्वारा आवेदक से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संबद्ध किसी व्यक्ति के खिलाफ संबंधित अधिनियम, उसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन कोई अनुशासनिक कार्रवाई की गयी है;
- (ञ) यदि बैंक या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी विनिधान (निवेश) सलाहकार सेवाएँ देने का प्रस्ताव करती है, तो क्या इसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुज्ञात किया गया है और आवेदन समनुषंगी या अलग से पहचाने जा सकने वाले विभाग या प्रभाग के माध्यम से किया गया है;
- (ट) यदि निगमित निकाय, बैंक या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी से भिन्न, जो विनिधान (निवेश) सलाहकार सेवाएँ देने का प्रस्ताव करता है किसी अन्य क्रियाकलाप में लगता है, तो क्या आवेदन अलग से पहचाने जा सकने वाले विभाग या प्रभाग के माध्यम से किया गया है;
- (ठ) यदि भारत के बाहर निगमित एंटिटी इन विनियमों के अधीन विनिधान (निवेश) सलाहकार सेवाएँ देने का प्रस्ताव करती है, तो क्या, इसने भारत में समनुषंगी

स्थापित कर ली है और क्या ऐसे समनुषंगी ने रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है;

(ड) यदि विदेशी नागरिक विनिधान (निवेश) सलाहकार सेवाएँ देने का प्रस्ताव करता है, तो क्या, आवेदक ने भारत में कार्यालय स्थापित कर लिया है और वह ऐसे कार्यालय के माध्यम से विनिधान (निवेश) सलाहकार सेवाएँ देने का प्रस्ताव करता है।

अर्हता और प्रमाणीकरण अपेक्षा

- 7. (1) इन विनियमों के अधीन विनिधान (निवेश) सलाहकार के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यष्टि और इन विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत विनिधान (निवेश) सलाहकार के भागीदारों तथा प्रतिनिधियों, विनिधान (निवेश) सलाह देने वाले, के पास, सभी समयों पर, निम्नलिखित न्यूनतम अर्हताएँ होंगी:
 - (क) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था अथवा मान्यताप्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय या संस्था या संगम (एसोसिएशन) से वित्त, लेखा-कर्म, कारबार प्रबंध, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, पूंजी बाजार, बैंकिंग, बीमा या बीमांकिक विज्ञान में वृत्तिक अर्हता या स्नातकोत्तर डिग्री अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा; या
 - (ख) शिक्षा की किसी भी शाखा में स्नातक के साथ-साथ वित्तीय उत्पादों या प्रतिभूतियों के संबंध में सलाह देने अथवा निधि या आस्ति या पोर्टफोलियो प्रबंधन संबंधी क्रियाकलापों में कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव।
 - (2) विनिधान (निवेश) सलाहकार के रूप में रिजस्ट्रीकृत व्यष्टि और इन विनियमों के अधीन रिजस्ट्रीकृत विनिधान (निवेश) सलाहकारों के भागीदारों तथा प्रतिनिधियों, विनिधान (निवेश) सलाह देने वाले, के पास, सभी समयों पर. -
 - (क) राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान से ; या
 - (ख) किसी अन्य संगठन या संस्था, जिसमें फाइनैंशियल प्लानिंग स्टैण्डर्ड्स बोर्ड इंडिया सम्मिलित है, अथवा भारत में मान्यताप्राप्त किसी स्टॉक एक्सचेंज से,

वित्तीय योजना अथवा निधि या आस्ति या पोर्टफोलियो प्रबंधन अथवा विनिधान (निवेश) सलाहकार सेवाओं संबंधी प्रमाणीकरण होगा, बशर्ते कि ऐसा प्रमाणीकरण राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान द्वारा प्रत्यायित हो :

परंतु यह कि इन विनियमों के अधीन रिजस्ट्रीकरण चाहने वाले विद्यमान विनिधान (निवेश) सलाहकार, यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके भागीदार तथा प्रतिनिधि इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख से दो वर्षों के भीतर ऐसा प्रमाणीकरण अभिप्राप्त कर लें:

परंतु यह और कि विद्यमान प्रमाणींकरण की विधिमान्यता के समाप्त होने से पहले नया प्रमाणीकरण अवश्य अभिप्राप्त कर लिया जाना चाहिए, ताकि प्रमाणीकरण अपेक्षाओं के अनुपालन के संबंध में निरंतरता सुनिश्चित हो सके ।

पूंजी पर्याप्तता

- 8. (1) विनिधान (निवेश) सलाहकारों जो निगमित निकाय हैं की शुद्ध-मालियत पच्चीस लाख रुपये से कम की नहीं होगी।
 - स्पष्टीकरण इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, "शुद्ध-मालियत" से समादत्त शेयर पूँजी और खुली आरक्षितियों का कुल मूल्य (पुनर्मूल्यांकन में से सृजित आरक्षितियों को छोड़कर), उसमें से संचित हानियों, आस्थगित व्यय जो बदटे-खाते में न डाला गया हो, जिसमें बदटेखाते न डाले गये विविध व्यय सम्मिलित हैं, और लागू नियमों तथा विनियमों के अनुसार सलाहकारों द्वारा दी गयी अन्य सेवाओं हेतु पूंजी पर्याप्तता अपेक्षा के कुल मूल्य को घटाकर, अभिप्रेत है।
 - (2) विनिधान (निवेश) सलाहकार जो व्यष्टि या भागीदारी फर्में हैं की शुद्ध मूर्त आस्तियाँ एक लाख रुपये से कम मूल्य की नहीं होंगी :
 - परंतु यह कि विद्यमान विनिधान (निवेश) सलाहकार इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूंजी पर्याप्तता अपेक्षा का अनुपालन करेंगे।

रजिस्टीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करना

9. बोर्ड यह समाधान हो जाने पर कि आवेदक विनियम 6 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करता है, आवेदक को सूचना भेजेगा और दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट रिजस्ट्रीकरण / नवीकरण फीस का भुगतान प्राप्त हो जाने पर, पहली अनुसूची के अधीन प्ररूप ख में रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करेगा, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन जैसा बोर्ड उपयुक्त और समुचित समझे ।

प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की अवधि

10. विनियम 9 के अधीन प्रदान किया गया रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र इसके जारी किये जाने की तारीख से पाँच वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगा ।

प्रमाणपत्र का नवीकरण

- 11. (1) प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की अविध के समाप्त होने से तीन महीने पूर्व, विनिधान (निवेश) सलाहकार, यदि वह ऐसा चाहे तो, रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण प्रदान किये जाने के लिए प्ररूप क में आवेदन कर सकेगा।
 - (2) उप-विनियम (1) के अधीन नवीकरण के लिए आवेदन पर कार्यवाही उसी रीति से की जायेगी मानो कि यह प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने के लिए विनियम 3 के उप-विनियम (2) के अधीन किया गया आवेदन हो ।

प्रक्रिया जहाँ रजिस्ट्रीकरण से इंकार किया जाता है

- 12. (1) विनियम 3 के अधीन किये गये आवेदन पर विचार करने के पश्चात्, यदि बोर्ड की यह राय हो कि आवदक को प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया जाना चाहिये, तो यह आवेदक को सुने जाने का उचित अवसर देने के पश्चात् आवेदन नामंजूर कर सकेगा।
 - (2) आवेदन को नामंजूर करने का बोर्ड का विनिश्चय ऐसे विनिश्चय के तीस दिनों के भीतर आवेदक को संसूचित किया जायेगा।
 - (3) जहाँ प्रमाणपत्र के लिए आवेदन बोर्ड द्वारा नामंजूर किया जाता है, तो वहाँ आवेदक विनिधान (निवेश) सलाहकार के रूप में कार्य करना तुरंत छोड़ देगा:

परंतु यह कि इस विनियम में दी हुई कोई भी बात विधि के अधीन आवेदक के विद्यमान ग्राहकों के प्रति आवेदक के दायित्व को प्रभावित नहीं करेगी।

प्रमाणपत्र की शर्ते

- 13. विनियम 9 के अधीन प्रदान किया गया प्रमाणपत्र, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा :-
 - (क) विनिधान (निवेश) सलाहकार अधिनियम और इन विनियमों के उपबंधों का पालन करेगा:

- **
- (ख) यदि बोर्ड को पहले प्रस्तुत की गयी कोई जानकारी या विशिष्टियाँ किसी तात्विक विशिष्टि में मिथ्या या भ्रामक पायी जाती हैं या यदि पहले ही से प्रस्तुत की गयी जानकारी में कोई तात्विक परिवर्तन होता है, तो विनिधान (निवेश) सलाहकार तुरंत बोर्ड को लिखित रूप में सूचित करेगा;
- (ग) विनिधान (निवेश) सलाहकार, जो व्यष्टि न हो, अपने नाम में "विनिधान (निवेश) सलाहकार" शब्दों को सम्मिलित करेगा :
 - परंतु यह कि यदि विनिधान (निवेश) सलाहकार सेवा अलग से पहचाने जा सकने वाले विभाग या प्रभाग अथवा समनुषंगी द्वारा दी जा रही हो, तो ऐसा अलग से पहचाना जा सकने वाला विभाग या प्रभाग अथवा समनुषंगी अपने नाम में "विनिधान (निवेश) सलाहकार" शब्दों को सम्मिलित करेंगे।
- (घ) विनिधान (निवेश) सलाहकारों के रूप में रिजस्ट्रीकृत व्यष्टि अपने ग्राहकों के साथ अपने समस्त पत्र-व्यवहारों में "विनिधान (निवेश) सलाहकार" शब्दों का प्रयोग करेंगे।

विनिधान (निवेश) सलाहकारों के विनियमन के लिए निकाय या निगमित निकाय की मान्यता

- 14 (1) बोर्ड किसी निकाय या निगमित निकाय को विनिधान (निवेश) सलाहकारों का विनियमन करने के प्रयोजनार्थ मान्यता दे सकेगा ।
 - (2) बोर्ड ऐसे निकाय या निगमित निकाय को मान्यता दिये जाने के समय, विनिधान (निवेश) सलाहकारों का प्रशासन और पर्यवेक्षण ऐसे निकाय या निगमित निकाय को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर प्रत्यायोजित कर सकेगा जैसा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।
 - (3) बोर्ड यह विनिर्दिष्ट कर सकेगा कि कोई भी व्यक्ति विनिधान (निवेश) सलाहकार के रूप में तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक कि वह मान्यताप्राप्त निकाय या निगमित निकाय का सदस्य न हो और ऐसी दशा में, इन विनियमों और ऐसे निकाय या निगमित निकाय की उप-विधियों या के अनुच्छेदों के उपबंध ऐसे विनिधान (निवेश) सलाहकारों पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

अध्याय III साधारण बाध्यताएँ और जिम्मेदारियाँ

साधारण जिम्मेदारी

- 15. (1) विनिधान (निवेश) सलाहकार अपने ग्राहकों के प्रति वैश्वासिक हैसियत में कार्य करेगा और समस्त हित विरोध जब कभी वे उत्पन्न हों प्रकट करेगा।
 - (2) विनिधान (निवेश) सलाहकार, ग्राहक जिसे सलाह दी जा रही हो से भिन्न किसी व्यक्ति से पारिश्रमिक या प्रतिकर के तौर पर या किसी अन्य रूप में कोई प्रतिकल प्राप्त नहीं करेगा, उन अंडरलाइंग उत्पादों (प्रोडक्ट्स) या प्रतिभूतियों की बाबत जिनके लिए सलाह दी जाती हो।
 - (3) विनिधान (निवेश) सलाहकार, विनिधान (निवेश) सलाहकार के रूप में अपने क्रियाकलापों और अन्य क्रियाकलापों के बीच समुचित दूरी का संबंध बनाये रखेगा।
 - (4) विनिधान (निवेश) सलाहकार, जो विनिधान (निवेश) सलाहकार सेवाओं से भिन्न क्रियाकलापों में भी लगा हुआ है, यह सुनिश्चित करेगा कि इसकी विनिधान (निवेश) सलाहकार सेवाएँ इसके अन्य समस्त क्रियाकलापों से स्पष्टतः पृथक् हैं, जैसा इसके नीचे यथा विहित है।
 - (5) विनिधान (निवेश) सलाहकार यह सुनिश्चित करेगा कि विनिधान (निवेश) सलाहकार कियाकलापों का अन्य क्रियाकलापों के साथ कोई हित विरोध होने की दशा में, ऐसा हित विरोध ग्राहकों को प्रकट किया जायेगा।
 - (6) विनिधान (निवेश) सलाहकार अपने ग्राहक के बारे में कोई गोपनीय जानकारी, जो इसकी जानकारी में आये, अपने ग्राहकों की पूर्व अनुज्ञा लिये बिना प्रकट नहीं करेगा, जिन्नाय इसके कि जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी विधि का अनुपालन करते हुए ऐसे प्रकटीकरण किये जाने अपेक्षित हों।
 - (7) विनिधान (निवेश) सलाहकार अपनी ओर से संव्यवहार नहीं करेगा जो ग्राहकों को दी गयी इसकी सलाह के प्रतिकूल हो, ऐसी सलाह के दिन से पंद्रह दिनों की अवधि हेतु।
 - परंतु यह कि ऐसे पद्रंह दिनों की अविध के दौरान, यदि विनिधान (निवेश) सलाहकार की यह राय हो कि स्थिति बदल गयी है, तब यह अपनी ओर से ऐसा संव्यवहार कर सकेगा, ऐसा संव्यवहार करने से कम से कम 24 घंटे पहले ऐसा संशोधित निर्धारण ग्राहक को देने के पश्चात्।
 - (8) विनिधान (निवेश) सलाहकार अपने ग्राहक को जानिए संबंधी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये ।

- (9) विनिधान (निवेश) सलाहकार तीसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट आचार संहिता का पालन करेगा।
- (10) विनिधान (निवेश) सलाहकार अपनी ओर से कार्य नहीं करेगा, यह जानते हुए कि ग्राहक को प्रतिभूतियाँ या विनिधान (निवेश) उत्पाद बेचने हैं अथवा ग्राहक से प्रतिभूतियाँ या विनिधान (निवेश) उत्पाद खरीदने हैं।
- (11) विनिधान (निवेश) सलाहकार के नियंत्रण में परिवर्तन की दशा में, बोर्ड से पूर्व अनुमोदन लिया जायेगा ।
- (12) विनिधान (निवेश) सलाहकार बोर्ड को जानकारी और रिपोर्टें देगा, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये ।
- (13) यह विनिधान (निवेश) सलाहकार की जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करे कि इसके प्रतिनिधि और भागीदार, जैसा लागू हो, सभी समयों पर विनियम 7 के अधीन प्रमाणीकरण और अर्हता संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन करें।

जोखिम रूपरेखा (प्रोफाइल)

- 16. विनिधान (निवेश) सलाहकार यह सुनिश्चित करेगा कि, -
 - (क) यह ग्राहक से, ऐसी जानकारी प्राप्त करता है जो विनिधान (निवेश) सलाह देने के प्रयोजनार्थ आवश्यक हो, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:-
 - (i) आयु;
 - (ii) विनिधान (निवेश) उद्देश्य जिनमें वह समय जब तक वे विनिधान (निवेश) करना जारी रखना चाहते हैं, विनिधान के प्रयोजन सम्मिलित हैं ;
 - (iii) आय के ब्यौरे :
 - (iv) विद्यमान विनिधान (निवेश) / आस्तियाँ ;
 - (v) जोखिम वहन / सहन करने की क्षमता ;
 - (vi) दायित्व / उधार के ब्यौरे ।
 - (ख) इसके पास जोखिम, जिसे ग्राहक उठाने के लिए इच्छुक और समर्थ है, का निर्धारण करने की प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित हैं :
 - (i) हानि के अवशोषण हेतु ग्राहक की क्षमता का निर्धारण ;

- (ii) यह पहचानना कि क्या ग्राहक पूँजी की हानि का जोखिम स्वीकारने के लिए अनिच्छुक या असमर्थ है ;
- (iii) प्रश्नों के प्रति ग्राहक के उत्तरों का समुचित निर्वचन और कुछ उत्तरों को अनुचित महत्त्व न देना।
- (ग) जहाँ जोखिम रूपरेखा (प्रोफाइल) के लिए टूल का प्रयोग किया जाता है, वहाँ यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि इस प्रयोजन के लिए टूल सही हों और किन्हीं सीमाओं को पहचाना जाये तथा उनमें कमी लायी जाये;
- (घ) कोई प्रश्न या किन्हीं प्रश्नों में दिये विवरण जिनका प्रयोग उस जोखिम को सिद्ध करने के लिए किया जाता हो जिसे ग्राहक उठाने का इच्छुक और समर्थ है, निष्पक्ष हैं, स्पष्ट हैं और भ्रामक नहीं हैं; और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि:
 - (i) प्रश्नावली अस्पष्ट नहीं है या इसमें दोहरे नकारात्मक प्रयोग किये नहीं गये हैं या
 ऐसी जटिल भाषा में नहीं है जिसे ग्राहक समझ नहीं सकेंगे;
 - (ii) प्रश्नावली का स्वरूप इस तरह का नहीं है कि इसमें सूचक प्रश्न हों।
- (ङ) जोखिम निर्धारण करने के पश्चात् ग्राहक की जोखिम रूपरेखा (प्रोफाइल) ग्राहक को संसूचित कर दी जाती है ;
- (च) ग्राहकों द्वारा दी गयी जानकारी और उनके जोखिम निर्धारण को समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।

उपयुक्तता

- 17. विनिधान (निवेश) सलाहकार यह सुनिश्चित करेगा कि, -
 - (क) समस्त विनिधान (निवेश) जिनके संबंध में विनिधान (निवेश) सलाह दी जाती है ग्राहक की जोखिम रूपरेखा (प्रोफाइल) के अनुरूप समुचित है;
 - (ख) इसके पास ग्राहक के विनिधान (निवेश) उद्देश्यों और वित्तीय स्थिति के आधार पर विनिधानों (निवेशों) का चयन करने की दस्तावेजी प्रक्रिया है ;
 - (ग) यह ग्राहकों के लिए चुने गये उत्पादों या आस्तियों के स्वरूप और जोखिमों को समझता है :
 - (घ) इसके पास यह विश्वास करने का उचित आधार हो कि सिफारिश या किया गया संव्यवहार :
 - (i) ग्राहक के विनिधान (निवेश) उद्देश्यों को पूरा करता है ;

- (ii) ऐसा है कि ग्राहक अपने विनिधान (निवेश) उद्देश्यों और जोखिम सहने की क्षमता से संगत किन्हीं संबंधित विनिधान (निवेश) जोखिमों को उठाने में समर्थ है ;
- (iii) ऐसा है कि ग्राहक के पास संव्यवहार में अंतर्वलित जोखिमों को समझने का आवश्यक अनुभव और जानकारी है।
- (ङ) जब कभी भी ग्राहक को विशिष्ट जटिल वित्तीय उत्पाद खरीदने की सिफारिश की जाये, तब यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी सिफारिश या सलाह इस उचित निर्धारण पर आधारित है कि वित्तीय उत्पाद की संरचना और जोखिम प्रतिफल रूपरेखा (प्रोफाइल) ग्राहकों के अनुभव, उनकी जानकारी, उनके विनिधान (निवेश) उद्देश्यों, जोखिम वहन करने की उनकी क्षमता और हानि के अवशोषण की उनकी क्षमता से संगत है।

ग्राहकों को प्रकटीकरण

- (1) विनिधान (निवेश) सलाहकार भावी ग्राहक को, अपने बारे में समस्त तात्विक जानकारी, जिसमें इसके कारबार, अनुशासनिक इतिहास, निबंधन और शर्तों जिन पर यह सलाहकार सेवाएँ देता है, अन्य मध्यवर्तियों के साथ सहबद्धता से संबंधित जानकारी और ऐसी अन्य जानकारी प्रकट करेगा जो सोच-समझकर यह विनिश्चय करने के लिए आवश्यक हो कि इसकी सेवाएँ ली जायें या नहीं ।
 - (2) विनिधान (निवेश) सलाहकार, पारिश्रमिक या प्रतिकर के तौर पर या किसी अन्य रूप में चाहे जो भी हो, इसके द्वारा या इसके सहयुक्तों या समनुषंगियों में से किसी सहयुक्त या समनुषंगी द्वारा, उन उत्पादों या प्रतिभूतियों की बाबत जिनके लिए ग्राहक को विनिधान (निवेश) सलाह दी जाती है, किसी वितरण या निष्पादन संबंधी सेवाओं के लिए प्राप्त या प्राप्य कोई प्रतिफल अपने ग्राहक को प्रकट करेगा।
 - (3) विनिधान (निवेश) सलाहकार, ग्राहक को स्टॉक दलाल या अन्य मध्यवर्ती की सेवाओं की सिफारिश करने से पूर्व, पारिश्रमिक या प्रतिकर के तौर पर या किसी अन्य रूप में चाहे जो भी हो, विनिधान (निवेश) सलाहकार द्वारा प्राप्त या प्राप्य कोई प्रतिकल, यदि कोई हो, प्रकट करेगा, यदि ग्राहक ऐसे मध्यवर्ती की सेवाएँ लेना चाहता है।
 - (4) विनिधान (निवेश) सलाहकार वित्तीय उत्पादों या प्रतिभूतियों, जो सलाह की विषय-वस्तु हैं, में अपनी धारिता या स्थिति, यदि कोई हो, ग्राहक को प्रकट करेगा ।
 - (5) विनिधान (निवेश) सलाहकार किन्हीं उत्पादों । प्रतिभूतियों के निर्गमकर्ता से किसी संबंध या के साथ सहयोजन से उत्पन्न कोई वास्तविक या संभाव्य हित विरोध, जिसमें ऐसी कोई तात्विक जानकारी या तथ्य सम्मिलित हैं, जिनसे विनिधान (निवेश) सलाहकार सेवाएँ दिये जाने में इसकी उद्देश्यप्रदता या स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती हो, ग्राहक को प्रकट करेगा।

- (6) विनिधान (निवेश) सलाहकार, विनिधान (निवेश) सलाह देते समय, उत्पादों या प्रतिभूतियों की प्रमुख विशेषताओं, विशिष्टतया, प्रदर्शन के पिछले रिकार्ड, से संबंधित समस्त तात्विक तथ्यों का पर्याप्त प्रकटीकरण ग्राहक को कंरेगा।
- (7) विनिधान (निवेश) सलाहकार ग्राहक का ध्यान उस विनिधान (निवेश) उत्पाद से संबंधित दस्तावेजों, विज्ञापन सामग्रियों में दी गयी चेतावनियों, दिये गये दावात्यागों (डिसक्लेमर) की ओर आकृष्ट करेगा, जिसकी सिफारिश यह ग्राहक को कर रहा हो ।

अभिलेख रखना

- 19. (1) विनिधान (निवेश) सलाहकार निम्नलिखित अभिलेख रखेगा, -
 - (क) अपने ग्राहक को जानिये संबंधी अभिलेख, जो ग्राहक से संबंधित हों ;
 - (ख) ग्राहक की जोखिम रूपरेखा (प्रोफाइल) और उसका जोखिम निर्धारण;
 - (ग) दी जाने वाली सलाह की उपयुक्तता का निर्धारण;
 - (घ) ग्राहकों के साथ किये गये करारों की प्रतियाँ, यदि कोई हों ;
 - (ङ) दी गयी विनिधान (निवेश) सलाह, चाहे लिखित हो या मौखिक ;
 - (च) विनिधान (निवेश) सलाह के निष्कर्ष तक पहुँचने का तर्काधार, सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और दिनांकित ;
 - (छ) ग्राहकों की सूची, सलाह की तारीख, सलाह के स्वरूप, उत्पादों / प्रतिभूतियों जिनके संबंध में सलाह दी गयी और फीस, यदि कोई ऐसी सलाह हेतु प्रभारित की गयी, से युक्त रजिस्टर या अभिलेख।
 - (2) समस्त अभिलेख या तो कागजी रूप में या इलैक्ट्रोनिक रूप में रखे जायेंगे और न्यूनतम पाँच वर्षों की अवधि के लिए बनाये रखे जायेंगे :

परंतु यह कि जहाँ अभिलेख सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित किये जाने अपेक्षित हैं और इलैक्ट्रोनिक रूप में रखे जाते हैं, तो ऐसे अभिलेखों को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जायेगा।

(3) विनिधान (निवेश) सलाहकार इन विनियमों के अनुपालन की बाबत भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान या भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के सदस्य से वार्षिक लेखापरीक्षा करायेगा।

अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति

20. विनिधान (निवेश) सलाहकार जो निगमित निकाय या भागीदारी फर्म है अनुपालन अधिकारी को नियुक्त करेगा जो अधिनियम, बोर्ड द्वारा जारी विनियमों, अधिसूचनाओं, मार्गदर्शक सिद्धांतों, अनुदेशों की अपेक्षाओं की बाबत विनिधान (निवेश) सलाहकार द्वारा किये जाने वाले अनुपालन के अनुश्रवण के लिए जिम्मेदार होगा ।

ग्राहक शिकायतों को दूर करना

- 21. (1) विनिधान (निवेश) सलाहकार ग्राहक शिकायतों को तत्परता से दूर करेगा ।
 - (2) विनिधान (निवेश) सलाहकार के यहाँ शिकायतों को शीघ्र दूर करने के लिए पर्याप्त प्रक्रिया होगी ।
 - (3) जिन वित्तीय उत्पादों में विनिधान (निवेश) सलाह के आधार पर विनिधान (निवेश) किये गये हों, उनसे संबंधित ग्राहक की शिकायतें ऐसे वित्तीय उत्पाद के विनियामक के दायरे के भीतर आयेंगी।
 - (4) विनिधान (निवेश) सलाहकार और उसके ग्राहक के बीच किसी विवाद को माध्यस्थम् के जरिये अथवा किसी विनियामक प्राधिकरण, जैसा लागू हो, द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत या नियुक्त लोकपाल (अधिनिर्णायक) के माध्यम से सुलझाया जायेगा ।

निष्पादन सेवाओं का पृथक्करण

- 22. विनिधान (निवेश) सलाहकार जो बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ तथा निगमित निकाय हैं जो अपने ग्राहकों को वितरण या निष्पादन संबंधी सेवाएँ देते हैं, अपनी विनिधान (निवेश) सलाहकार सेवाओं को ऐसे क्रियाकलापों से पृथक् रखेंगे :
 - परंतु यह कि ऐसी वितरण या निष्पादन संबंधी सेवाएँ केवल निम्नलिखित के अध्यधीन दी जा सकती हैं:
 - (क) ग्राहक विनिधान (निवेश) सलाहकार द्वारा दी गयी वितरण या निष्पादन संबंधी सेवाएँ लेने की किसी बाध्यता के अधीन नहीं होगा ।
 - (ख)विनिधान (निवेश) सलाहकार, विनिधान (निवेश) सलाहकार के रूप में अपने क्रियाकलापों और वितरण या निष्पादन संबंधी सेवाओं के बीच समुचित दूरी का संबंध बनाये रखेगा ।

(ग) ग्राहक द्वारा वितरण या निष्पादन संबंधी सेवा प्रदाताओं को अदा की जाने वाली समस्त फीस और अदा किये जाने वाले प्रभार सीधे सेवा प्रदाताओं को अदा किये जायेंगे न कि विनिधान (निवेश) सलाहकार के माध्यम से ।

अध्याय IV

निरीक्षण

निरीक्षण करने का बोर्ड का अधिकार

- 23. बोर्ड स्वप्रेरणा से या जानकारी अथवा शिकायत की प्राप्ति पर निम्नलिखित कारणों में से किसी कारण के लिए विनिधान (निवेश) सलाहकारों से संबंधित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षण प्राधिकारी के रूप में एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा, अर्थात् :-
 - (क) यह सुनिश्चित करना कि लेखा बहियाँ, अभिलेख और दस्तावेज विनिधान (निवेश) सलाहकार द्वारा इन विनियमों में विनिर्दिष्ट रीति से बनाये रखे जा रहे हैं ;
 - (ख) विनिधान (निवेश) सलाहकार के क्रियाकलापों से संबंधित किसी विषय पर ग्राहकों या किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त शिकायतों का निरीक्षण करना ;
 - (ग) यह अभिनिश्चित करना कि क्या अधिनियम और इन विनियमों के उपबंधों का विनिधान (निवेश) सलाहकार द्वारा अनुपालन किया जा रहा है ;
 - (घ) विनिधान (निवेश) सलाहकार के कामकाज का, प्रतिभूति बाजार के हित में या विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) के हित में, निरीक्षण करना ।

निरीक्षण के पूर्व सूचना (नोटिस)

- 24. (1) विनियम 23 के अधीन निरीक्षण का आदेश देने से पूर्व, बोर्ड विनिधान (निवेश) सलाहकार को कम से कम दस दिनों की सूचना (का नोटिस) देगा ।
 - (2) उप-विनियम (1) में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, जहाँ बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) के हित में कोई ऐसी सूचना नहीं दी जानी, चाहिए,

वहाँ यह लिखित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि विनिधान (निवेश) सलाहकार के कामकाज का निरीक्षण ऐसी सूचना के बिना किया जाये ।

(3) निरीक्षण के दौरान, विनिधान (निवेश) सलाहकार जिसके खिलाफ निरीक्षण किया जा रहा है विनियम 25 में यथा उपबंधित इसकी बाध्यताओं का निर्वहन करने के लिए आबद्ध होगा।

निरीक्षण के संबंध में विनिधान (निवेश) सलाहकार की बाध्यताएँ

- 25. (1) प्रत्येक विनिधान (निवेश) सलाहकार जिसकी बाबत विनियम 23 के अधीन निरीक्षण का आदेश दिया गया है और किसी अन्य सहयुक्त व्यक्ति जिसके कब्जे में ऐसे विनिधान (निवेश) सलाहकार के संचालन और कार्यकलापों से संबंधित सुसंगत जानकारी है, जिसके अंतर्गत विनिधान (निवेश) सलाहकार का प्रतिनिधि, यदि कोई हो, है का कर्तव्य निरीक्षण प्राधिकारी को उसकी अभिरक्षा या नियंत्रण में रखी ऐसी बहियाँ, लेखे और अन्य दस्तावेज पेश करना और उसे ऐसे विवरण तथा जानकारी देना होगा जैसी निरीक्षण प्राधिकारी निरीक्षण के प्रयोजनों के लिए अपेक्षा करे।
 - (2) प्रत्येक विनिधान (निवेश) सलाहकार और किसी अन्य सहयुक्त व्यक्ति जिसके कब्जे में विनिधान (निवेश) सलाहकार के संचालन और कार्यकलापों से संबंधित सुसंगत जानकारी है का कर्तव्य निरीक्षण प्राधिकारी को ऐसी समस्त सहायता देना होगा और ऐसा समस्त सहयोग देगा जैसा निरीक्षण के संबंध में अपेक्षित किया जाये और ऐसी जानकारी देगा जैसी निरीक्षण के संबंध में निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगी जाये।
 - (3) निरीक्षण प्राधिकारी के पास, निरीक्षण के प्रयोजनों के लिए, किन्हीं कर्मचारियों, निदेशकों, भागीदारों या विनिधान (निवेश) सलाहकार के क्रियाकलापों के लिए जिम्मेदार या से संबंधित किसी व्यक्ति या ऐसे विनिधान (निवेश) सलाहकार से संबंधित सुसंगत जानकारी रखने वाले किसी अन्य सहयुक्त व्यक्ति की शपथ पर परीक्षा करने और के कथन अभिलिखित करने की शक्ति होगी।
 - (4) निरीक्षण प्राधिकारी के पास, निरीक्षण के प्रयोजनों के लिए, विनिधान (निवेश) सलाहकार के दस्तावेजों, बहियों, लेखों की अधिप्रमाणित प्रतियाँ अभिप्राप्त करने की शक्ति होगी, ऐसे दस्तावेजों, बहियों या लेखों को नियंत्रण या अभिरक्षा में रखने वाले किसी व्यक्ति से।

बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करना

26. निरीक्षण प्राधिकारी, यथासंभव शीघ्र, निरीक्षण के पूरा होने पर बोर्ड को निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा:

परंतु यह कि यदि बोर्ड द्वारा ऐसा करने का निदेश दिया गया हो, तो निरीक्षण प्राधिकारी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा।

निरीक्षण रिपोर्ट पर कार्रवाई

- 27. बोर्ड निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और विनिधान (निवेश) सलाहकार या इसके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात्, ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जैसा यह प्रतिभूति बाजार या विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) के हित में ठीक समझे जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, -
 - (क) विनिधान (निवेश) सलाहकार से विशिष्ट कालाविध के लिए विनिधान (निवेश) सलाह न देने की अपेक्षा करना ;
 - (ख) विनिधान (निवेश) सलाहकार से फीस, प्रभारों या कमीशनों या अन्यथा के रूप में संग्रहित किसी धनराशि का प्रतिदाय (रिफंड) संबंधित ग्राहकों को अपेक्षित ब्याज के साथ करने की अपेक्षा करना ;
 - (ग) विनिधान (निवेश) सलाहकार को विनिर्दिष्ट कालाविध के लिए पूँजी बाजार में प्रचालन करने या पूँजी बाजार में पहुँच रखने से प्रतिषिद्ध करना ।

अध्याय V

चूक की दशा में कार्रवाई के लिए प्रक्रिया

चुक (व्यतिक्रम) की दशा में कार्रवाई के लिए दायित्व

- 28. विनिधान (निवेश) सलाहकार जो -
 - (क) अधिनियम या उसके अधीन जारी किन्हीं विनियमों या परिपत्रों के उपबंधों में से किसी उपबंध का उल्लंघन करता है ;

- (ख) विनिधान (निवेश) सलाहकार के रूप में अपने क्रियाकलाप से संबंधित कोई जानकारी, जो बोर्ड द्वारा अपेक्षित हो, देने में असफल रहता है ;
- (ग) बोर्ड को ऐसी जानकारी देता है जो किसी तात्विक विशिष्टि में मिथ्या या भ्रामक है;
- (घ) बोर्ड द्वारा यथा अपेक्षित कालिक विवरणियाँ या रिपोर्टें प्रस्तुत नहीं करता है ;
- (ङ) बोर्ड द्वारा की गई किसी जांच, निरीक्षण या अन्वेषण में सहयोग नहीं देता है ;
- (च) विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) की शिकायतों का निवारण करने में असफल रहता है या इस निमित्त बोर्ड को समाधानप्रद उत्तर देने में असफल रहता है,

पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 के अधीन उपबंधित रीति से कार्यवाही की जायेगी ।

अध्याय VI

विविध

स्पष्टीकरण आदि जारी करने की बोर्ड की शक्ति

29. इन विनियमों के लागू होने या निर्वचन में किन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए, बोर्ड परिपत्रों के रूप में स्पष्टीकरण और मार्गदर्शक सिद्धाँत जारी कर सकेगा।

विनियम 14 के अधीन मान्यताप्राप्त निकाय या निगमित निकाय पर बोर्ड की शक्ति

30. विनियम 14 के अधीन मान्यताप्राप्त निकाय या निगमित निकाय द्वारा लिये गये किसी विनिश्चय, की गयी किसी कार्रवाई या अधिरोपित की गयी किन्हीं शास्तियों को परिवर्तित करने, उपांतरित करने और उनके विरुद्ध निर्णय देने का अधिकार बोर्ड के पास आरक्षित है।

पहली अनुसूची प्ररूप क

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड {विनिधान (निवेश) सलाहकार} विनियम, 2013 [विनियम 3 एवं 11 देखें]

विनिधान (निवेश) सलाहकार के रूप में रजिस्ट्रीकरण / नवीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने के लिए आवेदन

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी भवन, सी4-ए, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051 - भारत

अनुदेश

- यह प्ररूप विनिधान (निवेश) सलाहकार के रूप में रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने के लिए आवेदक द्वारा उपयोग करने के लिए हैं।
- आवेदक को यह प्ररूप पूरा भरना चाहिए, और इसे बोर्ड को इसके मुंबई स्थित प्रधान कार्यालय में समस्त समर्थक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना चाहिए।
- 3. यह आवेदन प्ररूप इन विनियमों के अनुसार भरा जाना चाहिए।
- 4. बोर्ड द्वारा आवेदन पर विचार किया जायेगा परंतु तब जब यह सभी प्रकार से पूर्ण हो ।
- सभी उत्तर पढ़े जाने योग्य होने चाहिए और प्ररूप के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर होने चाहिए ।
 मुहर लगी होनी चाहिए और साथ ही सभी पृष्ठ संख्यािकत होने चाहिए ।
- 6. जो जानकारी अधिक विस्तार से दी जानी आवश्यक हो, वह जानकारी पृथक पन्नों पर दी जा सकेगी जो आवेदन प्ररूप के साथ संलग्न होने चाहिए और समुचित रूप से संख्याकित होने चाहिए ।
- 7. आवेदन हस्ताक्षरित होना चाहिए।
- 8. आवेदन के साथ इन विनियमों की दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट आवेदन फीस अवश्य होनी चाहिए।

1. साधारण जानकारी

- (क) आवेदक का नाम, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता, पत्राचार का पता और कारबार का मुख्य स्थान, दूरभाष संख्या (संख्याएँ), फ़ैक्स संख्या (संख्याएँ), ई-मेल का पता ।
- (ख)क्या आवेदन रजिस्ट्रीकरण के लिए हैं । नवीकरण के लिए हैं । यदि आवेदन प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए हैं, तो रजिस्ट्रीकरण संख्या प्रदान करें ।
- (ग) संपर्क व्यक्ति (व्यक्तियों) का नाम, सीधा लाइन नंबर, मोबाइल नंबर और ई-मेल ।
- (घ) आवेदक की विधिक सरंचना क्या आवेदक व्यष्टि है, निगमित निकाय (जिसमें कंपनी -सम्मिलित है) है, भागीदारी फर्म है ।
- (ङ) क्या आवेदक बैंक है । गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है ।
- (च)निगमन | स्थापना की तारीख और उसका स्थान, यदि कोई हो । यदि आवेदक भारत के बाहर निगमित है, तो ऐसे निगमन के ब्यौरे ।
- (छ)क्या आवेदक इन विनियमों के अधीन आवेदन करने से पूर्व विनिधान (निवेश) सलाहकार सेवाओं में लगा हुआ है ।
- (ज) क्या आवेदक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय रिर्ज़व बैंक, आईआरडीए या पीएफआरडीए के पास किसी भी हैसियत में रजिस्ट्रीकृत है। यदि ऐसा है, तो ऐसे रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे।
- (झ) आवेदक के क्रियाकलापों संबंधी विवरण।

(नवीकरण के आवेदन के लिए, विद्यमान विनिधान (निवेश) सलाहकार सेवाओं के ब्यौरे उपलब्ध करायें जिनमें ग्राहकों की संख्या और उन्का प्रकार, वे आस्तियाँ जिनके संबंध में सलाह दी गयी, राजस्व, लाभप्रदता, उत्पाद / प्रतिभूतियाँ जिनके संबंध में विनिधान (निवेश) सलाह दी गयी, इत्यादि)

- आवेदक के ब्यौरे (केवल उसी खंड के ब्यौरे ही उपलब्ध करायें, जो आप पर लागू हो)
 यदि आवेदक व्यष्टि है:
 - ****
 - 1. क्या आवेदक के पास :
 - कंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था अथवा मान्यताप्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय या संस्था या संगम (एसोसिएशन) से वित्त, लेखा-कर्म, कारबार प्रबंध, वाणिज्य, अर्थशास्त्र,

11

पूंजी बाजार, बैंकिंग, बीमा या बीमांकिक विज्ञान में वृत्तिक अर्हता या स्नातकोत्तर डिग्री अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा है; या

ख. शिक्षा की किसी भी शाखा में स्नातक के साथ-साथ वित्तीय उत्पादों या प्रतिभूतियों के संबंध में सलाह देने अथवा निधि या आस्ति या पोर्टफोलियो प्रबंधन संबंधी क्रियाकलापों में कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव है।

(समर्थक दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियाँ उपलब्ध करायें)।

- 2. विनियम 7(2) के अनुसार अभिप्राप्त प्रमाणीकरण की प्रति ।
 (यदि आवेदक विद्यमान विनिधान (निवेश) सलाहकार है जो नये रिजस्ट्रीकरण
 के लिए आवेदन कर रहा है, तो वह यह कथन करते हुए घोषणा प्रस्तुत करे कि
 यह इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख से दो वर्षों के भीतर ऐसा प्रमाणीकरण
 अभिप्राप्त करेगा और ऐसे प्रमाणीकरण की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर बोर्ड को
 प्रमाणीकरण की प्रति प्रस्तुत करेगा ।)
- 3. आवेदक के कर्मचारियों और एजेंटों की संख्या, यदि कोई हो, जो आवेदक की ओर से इन विनियमों के अधीन विनिधान (निवेश) सलाह देंगे । ऐसे कर्मचारियों । एजेंटों हेतु उपरोक्त क्रम सं. (1) से (2) में यथा उल्लिखित दस्तावेज उपलब्ध करायें ।
- 4. आवेदक की पहचान का सबूत और उसके पते का सबूत संलग्न करें।
- 5. किन्हीं कंपनियों में आवेदक के स्वामित्व / निदेशक पद के ब्यौरे अथवा किसी फर्म या सीमित दायित्व भागीदारी में भागीदारी हित के ब्यौरे ।
- 6. पिछले 3 वर्षों की आयकर विवरणी की प्रति / फार्म 16 की प्रति ।
- 7. चार्टड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित आस्तियों और दायित्वों के विवरण की प्रति और शुद्ध मूर्त आस्तियों का प्रमाणीकरण (आवेदन दाखिल किये जाने के समय तीन महीनों से अधिक पुराना न हो) । कृपया यह नोट करें कि प्रमाणपत्र में चार्टड एकाउंटेंट की सदस्यता संख्या अवश्य सम्मिलित की जानी चाहिए ।

II. यदि आवेदक कंपनी है:

- शेयरधारिता पैटर्न (स्वरूप) और निदेशकों का प्रोफाइल (निदेशकों की पहचान का सबूत और उनके पते का सबूत संलग्न करें) ।
- 2. आवेदक के कर्मचारियों और एजेंटों (इसमें इसके पश्चात् 'प्रतिनिधियों' या 'प्रतिनिधि' के रूप में उल्लिखित) की संख्या जो आवेदक की ओर से इन विनियमों के अधीन विनिधान (निवेश) सलाह देते हैं। देने का प्रस्ताव करते हैं।

3. आवेदक द्वारा यह घोषणा कि इसके प्रतिनिधि विनियम 7 के अधीन प्रमाणीकरण और अर्हता संबंधी अपेक्षाओं का वर्तमान में अनुपालन करते हैं। (यदि आवेदक विद्यमान विनिधान (निवेश) सलाहकार है जो नये रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर रहा है, तो वह यह कथन करते हुए घोषणा प्रस्तुत करे कि आवेदक यह सुनिश्चित करेगा कि इसके समस्त प्रतिनिधि इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख से दो वर्षों के भीतर ऐसा प्रमाणीकरण अभिप्राप्त कर लें और इसके समस्त प्रतिनिधियों द्वारा प्रमाणीकरण अभिप्राप्त कर लिये जाने के पश्चात्, इस भाव की घोषणा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को प्रस्तुत की जायेगी।)

4. आवेदक द्वारा यह घोषणा कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि इसके प्रतिनिधि सभी समयों पर विनियम 7 के अधीन प्रमाणीकरण और अर्हता संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन करें।

5. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय रिर्ज़व बैंक, आईआरडीए या पीएफआरडीए के पास रिजस्ट्रीकृत सहयुक्त कंपनियों की सूची रिजस्ट्रीकरण संख्या सहित ।

6. यदि क्या आवेदक बैंक या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, तो विनिधान (निवेश) सलाहकार सेवाएँ दिये जाने हेतु भारतीय रिर्ज़व बैंक के अनुमोदन की प्रति ।

7. चार्टंड एकाउंटेंट की ओर से शुद्ध-मालियत का प्रमाणपत्र, जो छह महीनों से अधिक पुराना न हो । कृपया यह नोट करें कि प्रमाणपत्र में चार्टंड एकाउंटेंट की सदस्यता संख्या अवश्य सम्मिलित की जानी चाहिए।

III. यदि आवेदक भागीदारी फर्म है:

- विनिधान (निवेश) सलाह में लगे हुए / में लगने के लिए प्रस्तावित भागीदारों के नाम और उनके हिताधिकारी स्वामित्व का स्वरूप(पैटर्न) (भागीदारों की पहचान का सबूत और उनके पते का सबूत संलग्न करें) ।
- 2. क्या उपरोक्त भागीदारों के पास:
 - क. केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था अथवा मान्यताप्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय या संस्था या संगम (एसोसिएशन) से वित्त, लेखा-कर्म, कारबार प्रबंध, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, पूंजी बाजार, बैंकिंग, बीमा या बीमांकिक विज्ञान में वृत्तिक अर्हता या स्नातकोत्तर डिग्री अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा है, या

ख. शिक्षा की किसी भी शाखा में स्नातक के साथ-साथ वित्तीय उत्पादों या प्रतिभूतियों के संबंध में सलाह देने अथवा निधि या आस्ति या पोर्टफोलियो प्रबंधन संबंधी क्रियाकलापों में कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव है।

(समर्थक दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियाँ उपलब्ध करायें) ।

- विनियम 7(2) के अनुसार उपरोक्त भागीदारों द्वारा अभिप्राप्त प्रमाणीकरण की प्रति ।
 - (यदि आवेदक विद्यमान विनिधान (निवेश) सलाहकार है जो नये रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर रहा है, तो वह यह कथन करते हुए घोषणा प्रस्तुत करे कि विनिधान (निवेश) सलाह में लगे हुए सभी भागीदार इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख से दो वर्षों के भीतर ऐसा प्रमाणीकरण अभिप्राप्त करेंगे और ऐसे सभी भागीदारों द्वारा प्रमाणीकरण अभिप्राप्त कर लिये जाने के पश्चात्, उस भाव की घोषणा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड को प्रस्तुत की जायेगी।)
- 4. यह घोषणा कि उपरोक्त भागीदार विद्यमान प्रमाणीकरण की विधिमान्यता के समाप्त होने से पहले नया प्रमाणीकरण अभिप्राप्त करेंगे, तािक प्रमाणीकरण अपेक्षाओं के अनुपालन के संबंध में निरंतरता सुनिश्चित हो सके।
- 5. चार्टड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित आस्तियों और दायित्वों के विवरण की प्रति और शुद्ध मूर्त आस्तियों का प्रमाणीकरण (आवेदन दाखिल किये जाने के समय तीन महीनों से अधिक पुराना न हो) । कृपया यह नोट करें कि प्रमाणपत्र में चार्टड एकाउंटेंट की सदस्यता संख्या अवश्य सम्मिलित की जानी चाहिए।

IV. यदि आवेदक निगमित निकाय है (कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी से भिन्न):

- 1. शेयरधारिता पैटर्न (स्वरूप) और निदेशकों का प्रोफाइल (निदेशकों की पहचान का सबूत और उनके पते का सबूत संलग्न करें)।
- 2. क्या आवेदक केंद्रीय या राज्य विधानमंडल की विधियों के अधीन गठित या स्थापित है और क्या आवेदक विनिधान (निवेश) सलाहकार का क्रियाकलाप करने के लिए अनुज्ञात है (सुसंगत कानून / अधिनियम के सुसंगत उद्धरण संलग्न करें)।
- 3. आवेदक के कर्मचारियों और एजेंटों (इसमें इसके पश्चात् 'प्रतिनिधियों' या 'प्रतिनिधि' के रूप में उल्लिखित) की संख्या जो आवेदक की ओर से इन विनियमों के अधीन विनिधान (निवेश) सलाह देते हैं। देने का प्रस्ताव करते हैं।

भारत का राजपत्र : असाधारण

4. आवेदक द्वारा यह घोषणा कि इसके प्रतिनिधि विनियम 7 के अधीन प्रमाणीकरण और अर्हता संबंधी अपेक्षाओं का वर्तमान में अनुपालन करते हैं। (यदि आवेदक विद्यमान विनिधान (निवेश) सलाहकार है जो नये रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर रहा है, तो वह यह कथन करते हुए घोषणा प्रस्तुत करे कि आवेदक यह सुनिश्चित करेगा कि इसके समस्त प्रतिनिधि इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख से दो वर्षों के भीतर ऐसा प्रमाणीकरण अभिप्राप्त कर लें और इसके समस्त प्रतिनिधियों द्वारा प्रमाणीकरण अभिप्राप्त कर लिये जाने के पश्चात्, इस भाव की घोषणा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को प्रस्तुत की जायेगी।)

5. आवेदक द्वारा यह घोषणा कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि इसके प्रतिनिधि सभी समयों पर विनियम 7 के अधीन प्रमाणीकरण और अर्हता संबंधी अपेक्षाओं का

अनुपालन करें।

6. चार्टड एकाउंटेंट की ओर से शुद्ध-मालियत का प्रमाणपत्र, जो छह महीनों से अधिक पुराना न हो । कृपया यह नोट करें कि प्रमाणपत्र में चार्टड एकाउंटेंट की सदस्यता संख्या अवश्य सम्मिलित की जानी चाहिए।

3. कारबार योजना

1. प्रस्तावित कारबार योजना एवं उसे प्राप्त किये जाने के साधन ।

2. उन उत्पादों / प्रतिभूतियों का प्रकार जिनके संबंध में विनिधान (निवेश) सलाह दी जानी प्रस्तावित है ।

 ग्राहक के जोखिम प्रोफाइल संबंधी और सलाह की उपयुक्तता के निर्धारण संबंधी प्रक्रिया ।

4. अवसंरचना के ब्यौरे

- विनिधान (निवेश) सलाहकार सेवाएँ दिये जाने हेतु कार्यालय स्थान, कार्यालय सामग्री, फर्नीचर और जुडनार, संचार सुविधाएँ, अनुसंधान क्षमता, अनुसंधान सॉफ्टवेयर ।
- 2. यह घोषणा कि आवेदक के पास विनिधान (निवेश) सलाहकार के क्रियाकलापों के प्रभावी रूप से निर्वहन के लिए आवश्यक अवसंरचना है।

5. निष्पादन सेवाएँ

- यदि आवेदक निगमित निकाय है, तो क्या आवेदक अपने ग्राहकों को वितरण या निष्पादन संबंधी सेवाएँ देने का प्रस्ताव करता है।
- 2. यदि हाँ, यह घोषणा प्रस्तुत करे कि सेवाएँ समनुषंगी / अलग से पहचाने जा सकने वाले विभाग / प्रभाग के माध्यम से दी जा रही हैं ।

6. अन्य जानकारी / घोषणाएँ / विनियामक कार्रवाइयाँ

- (क) पिछले 5 वर्षों में निपटाये गये और लंबित समस्त विवादों के ब्यौरे ।
- (ख)क्या आवेदक से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने के लिए पहले कभी किया गया कोई आवेदन बोर्ड द्वारा नामंजूर किया गया है; यदि हाँ, तो उसके ब्यौरे दें।
- (ग) क्या पिछले 5 वर्षों में अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये विनियमों के अधीन बोर्ड या अन्य किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा आवेदक से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संबद्ध किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई अनुशासनिक कार्रवाई की गयी है। यदि हाँ, तो कार्रवाई के ब्यौरे उपलब्ध करायें।
- (घ) क्या पिछले 5 वर्षों में किसी आर्थिक अपराध के संबंध में आवेदक / निदेशकों / संप्रवर्तकों / भागीदारों पर अभ्यारोप लगाया गया है / को अंतर्वलित पाया गया है ।
- (ङ) आवेदक हेतु सीआईबीआईएल से क्रेडिट रिपोर्ट / स्कोर (वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकिंग कंपनियों से भिन्न आवेदकों हेतु)।
- (च)यह घोषणा कि आवेदक, इसके प्रतिनिधि और भागीदार, यदि कोई हों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 की अनुसूची II में यथा विनिर्दिष्ट मानदंड के आधार पर उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति हैं;
- (छ)यह घोषणा कि आवेदक, ग्राहक जिसे सलाह दी जा रही हो से भिन्न किसी व्यक्ति से, पारिश्रमिक या प्रतिकर के तौर पर या किसी अन्य रूप में कोई प्रतिफल अभिप्राप्त नहीं करेगा, उन अंडरलाइंग उत्पादों (प्रोडक्ट्स) या प्रतिभूतियों की बाबत जिनके लिए ग्राहक को सलाह दी जाती हो।
- (ज) कोई अन्य जानकारी जो आवेदक द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के स्वरूप से सुसंगत समझी जाये।

7. घाषणा कथन

मैं । हम एतद्द्वारा सहमत हूँ । हैं और यह घोषणा करता हूँ । करते हैं कि आवेदन, जिसमें संलग्नक पन्ने भी सम्मिलित हैं, में दी गयी जानकारी पूर्ण और सत्य है ।

और मैं | हम इससे भी सहमत हूँ | हैं कि, मैं | हम आवेदन में उपलब्ध करायी गयी जानकारी में किसी परिवर्तन की सूचना तुरंत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को दूँगा | देंगे ।

मैं । हम इससे भी सहमत हूँ । हैं कि मैं । हम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992, और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विनिधान (निवेश) सलाहकार) विनियम, 2013, मार्गदर्शक सिद्धाँतों । अनुदेशों जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा समय-समय पर घोषित किये जायें का पालन करूँगा । करेंगे, और के द्वारा आबद्ध हूँगा । होंगे ।

मैं । हम इससे भी सहमत हूँ । हैं कि रजिस्ट्रीकरण की शर्त के रूप में, मैं । हम प्रचा	लन-संबंधी
ऐसे अनुदेशों । निदेशों का पालन करूँगा । करेंगे जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय	बोर्ड द्वारा
समय-समय पर जारी किये जायें।	

_ के लिए और की ओर से

(आवेदक का नाम)

प्राधिकृत हस्ताक्षकर्ता / आवेदक (हस्ताक्षर) (तारीख और स्थान)

प्ररूप ख

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड {विनिधान (निवेश) सलाहकार} विनियम, 2013 [विनियम 9 देखें]

विनिधान (निवेश) सलाहकार के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

 बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाये गये विनियमों के साथ पिठत उस अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

को अधिनियम में और उसके अधीन बनाये गये विनियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन विनिधान (निवेश) सलाहकार के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र एतद्द्वारा प्रदान करता है।

II. विनिधान (निवेश) सलाहकार की रजिस्ट्रीकरण संख्या आईएन/आईए |_______ है ।

तारीख:

रथान : मुंबई

आदेश द्वारा

ह/-

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के लिए और की ओर से

दूसरी अनुसूची

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड {विनिधान (निवेश) सलाहकार} विनियम, 2013 [विनियम 9]

फीस

- प्रत्येक आवेदक रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने या के नवीकरण के आवेदन के साथ पाँच हजार रुपये की अप्रतिदेय आवेदन फीस अदा करेगा ।
- 2. आवेदक जो व्यष्टि और फर्में हैं, बोर्ड द्वारा प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने या के नवीकरण के समय रिजस्ट्रीकरण | नवीकरण फीस के रूप में दस हजार रुपये की राशि अदा करेंगे।
- 3. निगमित निकाय बोर्ड द्वारा प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने या के नवीकरण के समय रजिस्ट्रीकरण / नवीकरण फीस के रूप में एक लाख रुपये की राशि अदा करेगा।
- 4. पैरा 1, 2 एवं 3 में निर्दिष्ट फीस का भुगतान आवेदक द्वारा, बोर्ड की ओर से सूचना प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर, "भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" के पक्ष में लिखे गये मांग ड्राफ्ट (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से (मुंबई में या संबंधित प्रादेशिक अथवा स्थानीय कार्यालय में देय) किया जायेगा ।

तीसरी अनुसूची

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड {विनिधान (निवेश) सलाहकार} विनियम, 2013

[विनियम 15 का उप-विनियम 9 देखें] विनिधान (निवेश) सलाहकार के लिए आचार संहिता

1. ईमानदारी एवं निष्पक्षता

विनिधान (निवेश) सलाहकार ईमानदारी से, निष्पक्षता से और अपने ग्राहकों के सर्वोत्तम हितों में तथा बाजार की सत्यनिष्ठा हेतु कार्य-करेगा।

2. तत्परता

विनिधान (निवेश) सलाहकार सम्यक् कौशल, सावधानी तथा तत्परता से अपने ग्राहकों के सर्वोत्तम हितों में कार्य करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि इसकी सलाह गहन विश्लेषण तथा उपलब्ध विकल्पों पर विचार करने के पश्चात् दी जाती है।

3. क्षमता

विनिधान (निवेश) सलाहकार के पास प्रभावी तौर पर समुचित संसाधन और प्रक्रियाएँ होंगी और वह उन्हें नियोजित भी करेगा, जो इसके कारबार के क्रियाकलापों के दक्ष निष्पादन हेतु आवश्यक हैं।

4. ग्राहकों के बारे में जानकारी

विनिधान (निवेश) सलाहकार अपने ग्राहकों से, उनकी वित्तीय स्थिति, उनके विनिधान (निवेश) संबंधी अनुभव और विनिधान (निवेश) संबंधी उद्देश्यों से संबंधित जानकारी मांगेगा, जो दी जाने वाली सेवाओं से सुसंगत हो, और ऐसी जानकारी की गोपनीयता बनाये रखेगा।

अपने ग्राहकों को जानकारी

विनिधान (निवेश) सलाहकार अपने ग्राहकों के साथ व्यौहार करते समय सुसंगत तात्विक जानकारी के पर्याप्त प्रकटीकरण करेगा ।

6. उचित और युक्तियुक्त प्रभार

ग्राहक को सलाह देने वाले विनिधान (निवेश) सलाहकार ऐसी किसी अधिकतम सीमा के अध्यधीन फीस प्रभारित कर सकेगा जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, यदि कोई हो। विनिधान (निवेश) सलाहकार यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहकों के लिए प्रभारित फीस उचित और युक्तियुक्त हो।

7. हित विरोध

विनिधान (निवेश) सलाहकार हित विरोधों से बचने का यथासंभव प्रयत्न करेगा और जब उनसे बचा न जा सके, तब यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहकों को समुचित प्रकटीकरण किये जायें और यह कि ग्राहकों के साथ उचित व्यवहार हो ।

8. अनुपालन

विनिधान (निवेश) सलाहकार, जिसमें इसका (इसके) प्रतिनिधि सिम्मिलत है (हैं), अपने कारबार के क्रियाकलापों के संचालन के प्रति लागू समस्त विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा, ताकि ग्राहकों के सर्वोत्तम हितों और बाजार की सत्यनिष्ठा की अभिवृद्धि हो सके।

9. ज्येष्ठ प्रबंध-मंडल की जिम्मेदारी

निगमित निकाय, जो विनिधान (निवेश) सलाहकार के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, के ज्येष्ठ प्रबंध-मंडल की यह सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी कि निगमित निकाय में संचालन के समुचित मानक बने रहें और निगमित निकाय द्वारा उपयुक्त प्रक्रियाओं का अनुसरण हो।

यू. के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विकापन III/4/असाधारण/69-जैड/बी]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 21st January, 2013

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (INVESTMENT ADVISERS) REGULATIONS, 2013

No. LAD-NRO/GN/2012-13/31/1778.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 read with clause (b) of sub-section (2) of Section 11 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Securities and Exchange Board of India hereby, makes the following regulations, namely,—

CHAPTER I

PRELIMINARY

Short title and commencement.

- (1) These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 2013.
 - (2) These regulations shall come into force on the ninetieth day from the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions.

- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, the terms defined herein shall bear the meanings assigned to them below, and their cognate expressions shall be construed accordingly,—
 - (a) "Act" means the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);
 - (b) "Board" means the Securities and Exchange Board of India established under section 3 of the Act;
 - (c) "body corporate" shall have the meaning assigned to it in or under sub-section (7) of section 2 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);
 - (d) "certificate" means a certificate of registration granted under these regulations;

- (e) "change in control" in relation to a company or a body corporate, means:
 - (i) if its shares are listed on any recognized stock exchange, change in control within the meaning of clause (e) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
 - (ii) in any other case, change in the controlling interest or change in legal form.

Explanation.— For the purpose of sub-clause (ii), the expression "controlling interest" means an interest, whether direct or indirect, to the extent of more than fifty percent of voting rights or interest;

- (f) "company" means a company incorporated under the Companies Act, 1956;
- (g) "consideration" means any form of economic benefit including non-cash benefit, received or receivable for providing investment advice;
- (h) "financial planning" shall include analysis of clients' current financial situation, identification of their financial goals, and developing and recommending financial strategies to realise such goals;
- (i) "firm" means a partnership firm registered under Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932);
- (j) "form" means any of the forms set out in the First Schedule;
- (k) "inspecting authority" means any one or more persons appointed by the Board to exercise powers conferred under regulation 23;
- (l) "investment advice" means advice relating to investing in, purchasing, selling or otherwise dealing in securities or investment products, and advice on investment portfolio containing securities or investment products, whether written, oral or through any other means of communication for the benefit of the client and shall include financial planning:

Provided that investment advice given through newspaper, magazines, any electronic or broadcasting or telecommunications medium, which is widely available to the public shall not be considered as investment advice for the purpose of these regulations;

- (m) "investment adviser" means any person, who for consideration, is engaged in the business of providing investment advice to clients or other persons or group of persons and includes any person who holds out himself as an investment adviser, by whatever name called;
- (n) "limited liability partnership" means a partnership formed and registered under The Limited Liability Partnership Act, 2008(6 of 2009);
- (o) "NBFC" means a Non-Banking Financial Company regulated by Reserve Bank of India:

- (p) "NISM" means the National Institute of Securities Market established by the Board;
- (q) "partner" means partner of the firm or a limited liability partnership who renders investment advice on behalf of the firm or limited liability partnership;
- (r) "representative" means an employee or an agent of an investment adviser who renders investment advice on behalf of that investment adviser.
- (2) The words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act, the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or any rules or regulations made thereunder shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts, rules or regulations made thereunder or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be.

CHAPTER II

REGISTRATION OF INVESTMENT ADVISERS

Application for grant of certificate.

- 3. (1) On and from the commencement of these regulations, no person shall act as an investment adviser or hold itself out as an investment adviser unless he has obtained a certificate of registration from the Board under these regulations:
 - Provided that a person acting as an investment adviser immediately before the commencement of these regulations may continue to do so for a period of six months from such commencement or, if it has made an application for a certificate under sub-regulation (2) within the said period of six months, till the disposal of such application.
 - (2) An application for grant of certificate of registration shall be made in Form A as specified in the First Schedule to these regulations and shall be accompanied by a non-refundable application fee to be paid in the manner specified in Second Schedule.

Exemption from registration.

- 4. The following persons shall not be required to seek registration under regulation 3 subject to the fulfillment of the conditions stipulated therefor,—
 - (a) Any person who gives general comments in good faith in regard to trends in the financial or securities market or the economic situation where such comments do not specify any particular securities or investment product;
 - (b) Any insurance agent or insurance broker who offers investment advice solely in insurance products and is registered with Insurance Regulatory and Development Authority for such activity;
 - (c) Any pension advisor who offers investment advice solely on pension products and is registered with Pension Fund Regulatory and Development Authority for such activity;

- (d) Any distributor of mutual funds, who is a member of a self regulatory organisation recognised by the Board or is registered with an association of asset management companies of mutual funds, providing any investment advice to its clients incidental to its primary activity;
- (e) Any advocate, solicitor or law firm, who provides investment advice to their clients, incidental to their legal practise;
- (f) Any member of Institute of Chartered Accountants of India, Institute of Company Secretaries of India, Institute of Cost and Works Accountants of India, Actuarial Society of India or any other professional body as may be specified by the Board, who provides investment advice to their clients, incidental to his professional service;
- (g) Any stock broker or sub-broker registered under SEBI (Stock Broker and Sub-Broker) Regulations, 1992, portfolio manager registered under SEBI (Portfolio Managers) Regulations, 1993 or merchant banker registered under SEBI (Merchant Bankers) Regulations, 1992, who provides any investment advice to its clients incidental to their primary activity:

Provided that such intermediaries shall comply with the general obligation(s) and responsibilities as specified in Chapter III of these regulations:

Provided further that existing portfolio manager offering only investment advisory services may apply for registration under these regulations after expiry of his current certificate of registration as a portfolio manager;

- (h) Any fund manager, by whatever name called of a mutual fund, alternative investment fund or any other intermediary or entity registered with the Board;
- (i) Any person who provides investment advice exclusively to clients based out of India:
 - Provided that persons providing investment advice to Non-Resident Indian or Person of Indian Origin shall fall within the purview of these regulations;
- (j) Any representative and partner of an investment adviser which is registered under these regulations:
 - Provided that such representative and partner shall comply with regulation 7 of these regulations;
- (k) Any other person as may be specified by the Board.

Furnishing of further information, clarification and personal representation.

- 5. (1) The Board may require the applicant to furnish further information or clarification regarding matters relevant to investment advisory services for the purpose of consideration of the application filed under sub-regulation (2) of regulation 3.
 - (2) The applicant or his authorised representative, if so required, shall appear before the Board for personal representation.

Consideration of application and eligibility criteria.

- 6. For the purpose of the grant of certificate the Board shall take into account all matters which are relevant to the grant of certificate of registration and in particular the following, namely,—
 - (a) whether the applicant is an individual or a body corporate or a firm;
 - (b) whether in case the applicant is an individual, he is appropriately qualified and certified as specified in regulation 7;
 - (c) whether in case the applicant is a body corporate, all the representatives of the applicant who provide investment advice are appropriately qualified and certified as specified in regulation 7;
 - (d) whether in case the applicant is a firm or a limited liability partnership, all partners who are engaged in giving investment advice are qualified and certified as specified in regulation 7.
 - (e) whether the applicant fulfills the capital adequacy requirements as specified in regulation 8;
 - (f) whether the applicant, its representatives and partners, if any, are fit and proper persons based on the criteria as specified in Schedule II of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008;
 - (g) whether the applicant has the necessary infrastructure to effectively discharge the activities of an investment adviser;
 - (h) whether the applicant or any person directly or indirectly connected with the applicant has in the past been refused certificate by the Board and if so, the grounds for such refusal;
 - (i) whether any disciplinary action has been taken by the Board or any other regulatory authority against any person directly or indirectly connected to the applicant under the respective Act, rules or regulations made thereunder;
 - (j) In case a bank or an NBFC proposes to undertake investment advisory services, whether it has been permitted by Reserve Bank of India and the application is made through a subsidiary or separately identifiable department or division;
 - (k) In case a body corporate, other than a Bank or NBFC, which proposes to undertake investment advisory services is engaged in any other activity, whether the application is made through a separately identifiable department or division;
 - (l) In case an entity incorporated outside India undertakes to provide investment advisory services under these regulations, whether, it has set up a subsidiary in India and whether such subsidiary has made the application for registration;

(m) In case a foreign citizen proposes to undertake investment advisory services, whether the applicant has set up an office in India and proposes to undertake investment advisory services through such office.

Qualification and certification requirement.

- 7. (1) An individual registered as an investment adviser under these regulations and partners and representatives of an investment adviser registered under these regulations offering investment advice shall have the following minimum qualifications, at all times:
 - (a) A professional qualification or post-graduate degree or post graduate diploma in finance, accountancy, business management, commerce, economics, capital market, banking, insurance or actuarial science from a university or an institution recognized by the central government or any state government or a recognised foreign university or institution or association; or
 - (b) A graduate in any discipline with an experience of at least five years in activities relating to advice in financial products or securities or fund or asset or portfolio management.
 - (2) An individual registered as an investment adviser and partners and representatives of investment advisers registered under these regulations offering investment advice shall have, at all times, a certification on financial planning or fund or asset or portfolio management or investment advisory services:
 - (a) from NISM; or
 - (b) from any other organization or institution including Financial Planning Standards Board India or any recognized stock exchange in India provided that such certification is accredited by NISM:

Provided that the existing investment advisers seeking registration under these regulations shall ensure that their partners and representatives obtain such certification within two years from the date of commencement of these regulations:

Provided further that fresh certification must be obtained before expiry of the validity of the existing certification to ensure continuity in compliance with certification requirements.

Capital adequacy.

8. (1) Investment advisers which are body corporate shall have a net worth of not less than twenty five lakh rupees.

Explanation.— For the purposes of this regulation, "networth" means the aggregate value of paid up share capital plus free reserves (excluding reserves created out of revaluation) reduced by the aggregate value of accumulated losses, deferred expenditure not written off, including miscellaneous expenses not written off, and capital adequacy requirement for other services offered by the advisers in accordance with the applicable rules and regulations.

(2) Investment advisers who are individuals or partnership firms shall have net tangible assets of value not less than rupees one lakh:

Provided that existing investment advisers shall comply with the capital adequacy requirement within one year from the date of commencement of these regulations.

Grant of certificate of registration.

9. The Board on being satisfied that the applicant complies with the requirements specified in regulation 6 shall send intimation to the applicant and on receipt of the payment of registration/renewal fees as specified in Second Schedule, grant certificate of registration in Form B under First Schedule, subject to such terms and conditions as the Board may deem fit and appropriate.

Period of validity of certificate.

10. The certificate of registration granted under regulation 9 shall be valid for a period of five years from the date of its issue.

Renewal of certificate.

- 11. (1) Three months before the expiry of the period of validity of the certificate, the investment adviser may, if he so desires, make an application in Form A for grant of renewal of certificate of registration.
 - (2) The application for renewal under sub-regulation (1) shall be dealt with in the same manner as if it were an application made under sub-regulation (2) of regulation 3 for grant of certificate.

Procedure where registration is refused.

- 12. (1) After considering an application made under regulation 3, if the Board is of the opinion that a certificate should not be granted to the applicant, it may reject the application after giving the applicant a reasonable opportunity of being heard.
 - (2) The decision of the Board to reject the application shall be communicated to the applicant within thirty days of such decision.
 - (3) Where an application for a certificate is rejected by the Board, the applicant shall forthwith cease to act as an investment adviser:

Provided that nothing contained in this regulation shall affect the liability of the applicant towards its existing clients under law.

Conditions of certificate.

- 13. The certificate granted under regulation 9 shall, *inter alia*, be subject to the following conditions:-
 - (a) the investment adviser shall abide by the provisions of the Act and these regulations;
 - (b) the investment adviser shall forthwith inform the Board in writing, if any information or particulars previously submitted to the Board are found to be false

- or misleading in any material particular or if there is any material change in the information already submitted;
- (c) the investment adviser, not being an individual, shall include the words 'investment adviser' in its name:
 - Provided that if the investment advisory service is being provided by a separately identifiable department or division or a subsidiary, then such separately identifiable department or division or subsidiary shall include the words 'investment adviser' in its name;
- (d) individuals registered as investment advisers shall use the term 'investment adviser' in all their correspondences with their clients.

Recognition of body or body corporate for regulation of investment advisers.

- 14. (1) The Board may recognize any body or body corporate for the purpose of regulating investment advisers.
 - (2) The Board may, at the time of recognition of such body or body corporate, delegate administration and supervision of investment advisers to such body or body corporate on such terms and conditions as may be specified by the Board.
 - (3) The Board may specify that no person shall act as an investment adviser unless he is a member of a recognized body or body corporate and in such event, provisions of these regulations and byelaws or articles of such body or body corporate shall apply mutatis mutandis to such investment advisers.

CHAPTER III

GENERAL OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITIES

General responsibility.

- 15. (1) An investment adviser shall act in a fiduciary capacity towards its clients and shall disclose all conflicts of interests as and when they arise.
 - (2) An investment adviser shall not receive any consideration by way of remuneration or compensation or in any other form from any person other than the client being advised, in respect of the underlying products or securities for which advice is provided.
 - (3) An investment adviser shall maintain an arms-length relationship between its activities as an investment adviser and other activities.
 - (4) An investment advisers which is also engaged in activities other than investment advisory services shall ensure that its investment advisory services are clearly segregated from all its other activities, in the manner as prescribed hereunder.

- (5) An investment adviser shall ensure that in case of any conflict of interest of the investment advisory activities with other activities, such conflict of interest shall be disclosed to the client.
- (6) An investment adviser shall not divulge any confidential information about its client, which has come to its knowledge, without taking prior permission of its clients, except where such disclosures are required to be made in compliance with any law for the time being in force.
- (7) An investment advisor shall not enter into transactions on its own account which is contrary to its advice given to clients for a period of fifteen days from the day of such advice.

Provided that during the period of such fifteen days, if the investment adviser is of the opinion that the situation has changed, then it may enter into such a transaction on its own account after giving such revised assessment to the client at least 24 hours in advance of entering into such transaction.

- (8) An investment advisor shall follow Know Your Client procedure as specified by the Board from time to time.
- (9) An investment adviser shall abide by Code of Conduct as specified in Third Schedule.
- (10) An investment adviser shall not act on its own account, knowingly to sell securities or investment products to or purchase securities or investment product from a client.
- (11) In case of change in control of the investment adviser, prior approval from the Board shall be taken.
- (12) Investment advisers shall furnish to the Board information and reports as may be specified by the Board from time to time.
- (13) It shall be the responsibility of the Investment Adviser to ensure that its representatives and partners, as applicable, comply with the certification and qualification requirements under regulation 7 at all times.

Risk profiling.

- 16. Investment adviser shall ensure that,-
 - (a) it obtains from the client, such information as is necessary for the purpose of giving investment advice, including the following:-
 - (i) age:
 - (ii) investment objectives including time for which they wish to stay invested, the purposes of the investment:
 - (iii) income details;
 - (iv) existing investments/ assets;

- (v) risk appetite/tolerance;
- (vi) liability/borrowing details.
- (b) it has a process for assessing the risk a client is willing and able to take, including:
 - (i) assessing a client's capacity for absorbing loss;
 - (ii) identifying whether client is unwilling or unable to accept the risk of loss of capital;
 - (iii) appropriately interpreting client responses to questions and not attributing inappropriate weight to certain answers.
- (c) where tools are used for risk profiling, it should be ensured that the tools are fit for the purpose and any limitations are identified and mitigated;
- (d) any questions or description in any questionnaires used to establish the risk a client is willing and able to take are fair, clear and not misleading, and should ensure that:
 - (i) questionnaire is not vague or use double negatives or in a complex language that the client may not understand;
 - (ii) questionnaire is not structured in a way that it contains leading questions.
- (e) risk profile of the client is communicated to the client after risk assessment is done;
- (f) information provided by clients and their risk assessment is updated periodically.

Suitability.

- 17. Investment adviser shall ensure that,-
 - (a) All investments on which investment advice is provided is appropriate to the risk profile of the client;
 - (b) It has a documented process for selecting investments based on client's investment objectives and financial situation;
 - (c) It understands the nature and risks of products or assets selected for clients;
 - (d) It has a reasonable basis for believing that a recommendation or transaction entered into:
 - (i) meets the client's investment objectives;
 - (ii) is such that the client is able to bear any related investment risks consistent with its investment objectives and risk tolerance;
 - (iii) is such that the client has the necessary experience and knowledge to understand the risks involved in the transaction.
 - (e) Whenever a recommendation is given to a client to purchase of a particular complex financial product, such recommendation or advice is based upon a reasonable assessment that the structure and risk reward profile of financial product

भारत का राजपत्र : असाधारण

is consistent with clients experience, knowledge, investment objectives, risk appetite and capacity for absorbing loss.

Disclosures to clients.

- 18. (1) An investment adviser shall disclose to a prospective client, all material information about itself including its business, disciplinary history, the terms and conditions on which it offers advisory services, affiliations with other intermediaries and such other information as is necessary to take an informed decision on whether or not to avail its services.
 - (2) An investment adviser shall disclose to its client, any consideration by way of remuneration or compensation or in any other form whatsoever, received or receivable by it or any of its associates or subsidiaries for any distribution or execution services in respect of the products or securities for which the investment advice is provided to the client.
 - (3) An investment adviser shall, before recommending the services of a stock broker or other intermediary to a client, disclose any consideration by way of remuneration or compensation or in any other form whatsoever, if any, received or receivable by the investment adviser, if the client desires to avail the services of such intermediary.
 - (4) An investment adviser shall disclose to the client its holding or position, if any, in the financial products or securities which are subject matter of advice.
 - (5) An investment adviser shall disclose to the client any actual or potential conflicts of interest arising from any connection to or association with any issuer of products/ securities, including any material information or facts that might compromise its objectivity or independence in the carrying on of investment advisory services.
 - (6) An investment adviser shall, while making an investment advice, make adequate disclosure to the client of all material facts relating to the key features of the products or securities, particularly, performance track record.
 - (7) An investment adviser shall draw the client's attention to the warnings, disclaimers in documents, advertising materials relating to an investment product which it is recommending to the client.

Maintenance of records.

- 19. (1) An investment adviser shall maintain the following records,-
 - (a) Know Your Client records of the client;
 - (b) Risk profiling and risk assessment of the client;
 - (c) Suitability assessment of the advice being provided;
 - (d) Copies of agreements with clients, if any;
 - (e) Investment advice provided, whether written or oral;
 - (f) Rationale for arriving at investment advice, duly signed and dated;

- (g) A register or record containing list of the clients, the date of advice, nature of the advice, the products/securities in which advice was rendered and fee, if any charged for such advice.
- (2) All records shall be maintained either in physical or electronic form and preserved for a minimum period of five years:

Provided that where records are required to be duly signed and are maintained in electronic form, such records shall be digitally signed.

(3) An investment adviser shall conduct yearly audit in respect of compliance with these regulations from a member of Institute of Chartered Accountants of India or Institute of Company Secretaries of India.

Appointment of compliance officer.

20. An investment adviser which is a body corporate or a partnership firm shall appoint a compliance officer who shall be responsible for monitoring the compliance by the investment adviser in respect of the requirements of the Act, regulations, notifications, guidelines, instructions issued by the Board.

Redressal of client grievances.

- 21. (1) An investment adviser shall redress client grievances promptly.
 - (2) An investment adviser shall have adequate procedure for expeditious grievance redressal.
 - (3) Client grievances pertaining to financial products in which investments have been made based on investment advice, shall fall within the purview of the regulator of such financial product.
 - (4) Any dispute between the investment adviser and his client may be resolved through arbitration or through Ombudsman authorized or appointed for the purpose by any regulatory authority, as applicable.

Segregation of execution services.

22. Investment advisers which are banks, NBFCs and body corporate providing distribution or execution services to their clients shall keep their investment advisory services segregated from such activities:

Provided that such distribution or execution services can only be offered subject to the following:

- (a) The client shall not be under any obligation to avail the distribution or execution services offered by the investment adviser.
- (b) The investment adviser shall maintain arms length relationship between its activities as investment adviser and distribution or execution services.
- (c) All fees and charges paid to distribution or execution service providers by the client shall be paid directly to the service providers and not through the investment adviser.

CHAPTER IV

INSPECTION

Board's right to inspect.

- 23. The Board may suo motu or upon receipt of information or complaint appoint one or more persons as inspecting authority to undertake inspection of the books of accounts, records and documents relating to investment advisers for any of the following reasons, namely: -
 - (a) to ensure that the books of account, records and documents are being maintained by the investment adviser in the manner specified in these regulations;
 - (b) to inspect into complaints received from clients or any other person, on any matter having a bearing on the activities of the investment adviser;
 - to ascertain whether the provisions of the Act and these regulations are being complied with by the investment adviser;
 - (d) to inspect into the affairs of a investment adviser, in the interest of the securities market or in the interest of investors.

Notice before inspection.

- 24. (1) Before ordering an inspection under regulation 23, the Board shall give not less than ten days notice to the investment adviser.
 - (2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), where the Board is satisfied that in the interest of the investors no such notice should be given, it may by an order in writing direct that the inspection of the affairs of the investment adviser be taken up without such notice.
 - (3) During the course of an inspection, the investment adviser against whom the inspection is being carried out shall be bound to discharge its obligations as provided in regulation 25.

Obligation of investment adviser on inspection.

- 25. (1) It shall be the duty of every investment adviser in respect of whom an inspection has been ordered under the regulation 23 and any other associate person who is in possession of relevant information pertaining to conduct and affairs of such investment adviser, including representative of investment adviser, if any, to produce to the inspecting authority such books, accounts and other documents in his custody or control and furnish him with such statements and information as the inspecting authority may require for the purposes of inspection.
 - (2) It shall be the duty of every investment adviser and any other associate person who is in possession of relevant information pertaining to conduct and affairs of the investment adviser to give to the inspecting authority all such assistance and shall extend all such co-operation as may be required in connection with the inspection and

shall furnish such information as sought by the inspecting authority in connection with the inspection.

- (3) The inspecting authority shall, for the purposes of inspection, have power to examine on oath and record the statement of any employees, directors, partners or person responsible for or connected with the activities of investment adviser or any other associate person having relevant information pertaining to such investment adviser.
- (4) The inspecting authority shall, for the purposes of inspection, have power to obtain authenticated copies of documents, books, accounts of investment adviser, from any person having control or custody of such documents, books or accounts.

Submission of report to the Board.

26. The inspecting authority shall, as soon as possible, on completion of the inspection submit an inspection report to the Board:

Provided that if directed to do so by the Board, the inspecting authority may submit an interim report.

Action on the inspection report.

- 27. The Board may after consideration of the inspection report and after giving reasonable opportunity of hearing to the investment advisers or its authorized representatives, issue such directions as it deems fit in the interest of securities market or the investors including,-
 - (a) requiring an investment adviser not to provide investment advice for a particular period;
 - (b) requiring the investment adviser to refund any money collected as fees, charges or commissions or otherwise to the concerned clients along with the requisite interest.
 - (c) prohibiting the investment adviser from operating in the capital market or accessing the capital market for a specified period.

CHAPTER V

PROCEDURE FOR ACTION IN CASE OF DEFAULT

Liability for action in case of default.

- 28. An investment adviser who -
 - (a) contravenes any of the provisions of the Act or any regulations or circulars issued thereunder;
 - (b) fails to furnish any information relating to its activity as an investment adviser as required by the Board;

भारत का राजपत्र : असाधारण

- (c) furnishes to the Board information which is false or misleading in any material particular;
- (d) does not submit periodic returns or reports as required by the Board;
- (e) does not co-operate in any enquiry, inspection or investigation conducted by the Board;
- (f) fails to resolve the complaints of investors or fails to give a satisfactory reply to the Board in this behalf,

shall be dealt with in the manner provided under the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008.

CHAPTER VI MISCELLANEOUS

Power of the Board to issue clarifications etc.

29. In order to remove any difficulties in the application or interpretation of these regulations, the Board may issue clarifications and guidelines in the form of circulars.

Power of the Board over body or body corporate recognized under regulation 14.

30. The Board reserves the right to alter, modify and overrule any decision, action taken or penalties imposed by the body or body corporate recognized under regulation 14.

FIRST SCHEDULE

FORM A

Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 2013 [See regulations 3 and 11]

Application for Grant of Certificate of Registration/Renewal as investment adviser

Securities and Exchange Board of India

SEBI Bhavan, C4-A, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400051 - India

INSTRUCTIONS

- 1. This form is meant for use by the applicant for grant of certificate of registration as an investment adviser.
- 2. The applicant should complete this form, and submit it, along with all supporting documents to the Board at its head office at Mumbai.
- 3. This application form should be filled in accordance with these regulations.
- 4. The application shall be considered by the Board provided it is complete in all respects.
- 5. All answers must be legible and all the pages must be numbered with signature/ stamp on each page of the form.
- 6. Information which needs to be supplied in more detail may be given on separate sheets which should be attached to the application form and appropriately numbered.
- 7. The application must be signed.
- 8. The application must be accompanied by an application fee as specified in the Second Schedule to these regulations.

1. GENERAL INFORMATION

- (a) Name, address of the registered office, address for correspondence and principal place of business, telephone number(s), fax number(s), e-moil address of the applicant.
- (b) Whether application is for registration/renewal. Provide registration number if the application is for renewal of certificate.
- (c) Name, direct line number, mobile number and e-mail of the contact person(s).

- (d) Legal structure of applicant Whether the applicant is an individual, body corporate (including company), partnership firm or limited liability partnership.
- (e) Whether the applicant is a bank /NBFC.
- (f) Date and place of incorporation/ establishment, if any. If the applicant is incorporated outside India, details of such incorporation.
- (g) Whether the applicant is engaged in investment advisory services prior to making application under these regulations.
- (h) Whether the applicant is registered with SEBI, RBI, IRDA or PFRDA in any capacity. If so, details of such registration.
- (i) Write-up on the activities of the applicant.

 (For renewal application, provide details of existing investment advisory services including number and type of clients, assets under advice, revenue, profitability, products/ securities on which investment advice was provided, etc.)

2. DETAILS OF APPLICANT (Provide details of only the section applicable to you)

I. In case applicant is an individual:

- 1. Whether the applicant has:
 - a. A professional qualification or post-graduate degree or post graduate diploma in finance, accountancy, business management, commerce, economics, capital market, banking, insurance or actuarial science from a university or an institution recognized by the Central Government or any State Government or a recognised foreign university or institution or association; or
 - b. A graduate in any discipline with an experience of at least five years in activities relating to advice in financial products or securities or fund or asset or portfolio management.

(Provide self certified copies of supporting documents).

- 2. Copy of certification obtained in accordance with regulation 7(2).

 (If the applicant is an existing investment adviser applying for fresh registration, then provide a declaration stating that it shall obtain such certification within two years from the date of commencement of these regulations and submit a copy of the certification to the Board within 15 days of receipt of such certification.)
- 3. Number of employees and agents of the applicant, if any, who shall render investment advice under these regulations on behalf of the applicant. Provide documents as mentioned in points (1) to (2) above for such employees/agents.
- 4. Enclose identity proof and address proof of the applicant.

29661/13-7.

- 5. Details of ownership/directorship of the applicant in any companies or partnership interest in any firm or limited liability partnership.
- 6. Copy of Income Tax Return/ Copy of Form 16 for the last 3 years.
- 7. Copy of assets and liabilities statement and certification of net tangible assets certified by a chartered accountant (not more than six months old at the time of filing of application). Please note that membership number of the Chartered accountant must be included in the certificate,

II. In case applicant is a company:

- 1. Shareholding pattern and profile of the directors (Enclose identity proof and address proof of the directors).
- 2. Number of employees and agents of the applicant (hereinafter referred to as 'representatives') who render/ propose to render investment advice under these regulations on behalf of the applicant.
- 3. Declaration by the applicant that its representatives currently comply with the certification and qualification requirements under regulation 7. (If the applicant is an existing investment adviser applying for fresh registration, then provide a declaration stating that the applicant shall ensure that all its representatives obtain such certification within two years from the date of commencement of these regulations and after all its representatives obtain the certification, a declaration to that effect shall be submitted to SEBL)
- 4. Declaration by the applicant that it shall ensure that its representatives comply with the certification and qualification requirements under regulation 7 at all times.
- 5. List of associated companies registered with SEBI, RBI, IRDA or PFRDA along with the registration number.
- 6. If applicant is a bank or NBFC, then copy of approval from RBI for undertaking investment advisory services.
- 7. Net worth certificate by a chartered accountant, not more than six months old. Please note that membership number of the chartered accountant must be included in the certificate.

III. In case applicant is a partnership firm or a limited liability partnership:

- 1. Names and Beneficial ownership pattern of the partners engaged/proposed to engage in investment advice (Enclose identity proof and address proof of the partners).
- 2. Whether the aforesaid partners have:
 - a. A professional qualification or post-graduate degree or post graduate diploma in finance, accountancy, business management, commerce, economics, capital market, banking, insurance or actuarial science from a university or an institution recognized by

the Central Government or any State Government or a recognised foreign university or institution or association; or

b. A graduate in any discipline with an experience of at least five years in activities relating to advice in financial products or securities or fund or asset or portfolio management.

(Provide self certified copies of supporting documents).

- 3. Copy of certification obtained by the aforesaid partners in accordance with regulation 7(2).
 - (If the applicant is an existing investment adviser applying for fresh registration, then provide a declaration stating that all the partners engaged in investment advice shall obtain such certification within two years from the date of commencement of these regulations and after all such partners obtain the certification, a declaration to that effect shall be submitted to SEBI.)
- 4. Declaration that the aforesaid partners shall obtain fresh certification before expiry of the validity of the existing certification to ensure continuity in compliance with certification requirements.
- 5. Copy of assets and liabilities statement and certification of net tangible assets of the partnership firm certified by a chartered accountant (not more than six months old at the time of filing of application). Please note that membership number of the chartered accountant must be included in the certificate.

IV. In case applicant is a body corporate (other than a company or limited liability partnership):

- 1. Shareholding pattern and profile of the directors (Enclose identity proof and address proof of the directors).
- 2. Whether the applicant is set up or established under the laws of the Central or State Legislature and whether the applicant is permitted to carry on of the activity of an investment adviser (Enclose relevant extract of the relevant Statute/Act).
- 3. Number of employees and agents of the applicant (hereinafter referred to as 'representatives') who render/ propose to render investment advice under these regulations on behalf of the applicant.
- 4. Declaration by the applicant that its representatives currently comply with the certification and qualification requirements under regulation 7. (If the applicant is an existing investment adviser applying for fresh registration, then provide a declaration stating that the applicant shall ensure that all its representatives obtain such certification within two years from the date of commencement of these regulations and after all its representatives obtain the certification, a declaration to that effect shall be submitted to SEBI.)

- 5. Declaration by the applicant that it shall ensure that its representatives comply with the certification and qualification requirements under regulation 7 at all times.
- 6. Net worth certificate by a chartered accountant, not more than six months old. Please note that membership number of the chartered accountant must be included in the certificate.

3. BUSINESS PLAN

- 1. Proposed business plan & means of achieving the same.
- 2. The type of products/ securities on which investment advice is proposed to be rendered.
- 3. Process for risk profiling of the client and for assessing suitability of advice.

4. DETAILS OF INFRASTRUCTURE

- 1. Details of office space, office equipment, furniture and fixtures, communication facilities, research capacity, research software for undertaking investment advisory services.
- 2. Declaration that the applicant has the necessary infrastructure to effectively discharge the activities of an investment adviser.

5. EXECUTION SERVICES

- 1. If the applicant is a body corporate, whether the applicant proposes to offer distribution or execution services to its clients.
- 2. If yes, provide a declaration that the services are being offered through a subsidiary/ separately identifiable department or division.

6. OTHER INFORMATION/DECLARATIONS/ REGULATORY ACTIONS

- (a) Details of all settled and pending disputes in the last 5 years.
- (b) Whether any previous application for grant of certificate made by any person directly or indirectly connected with the applicant has been rejected by the Board; If yes, provide details of the same.
- (c) Whether any disciplinary action has been taken by the Board or any other regulatory authority against any person directly or indirectly connected with the applicant under the Act or the regulations made there under in the last 5 years. If yes, provide details of the action.
- (d) Whether the applicant/directors/promoters/ partners have been indicted/involved in any economic offence in the last 5 years. If yes, provide details of the same.
- (e) A credit report/ score from CIBIL for the applicant. (For applicants other than financial institutions & banking companies)
- (f) Declaration that the applicant, its representatives and partners, if any, are fit and proper persons based on the criteria as specified in Schedule II of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008;
- (g) Declaration that the applicant shall not obtain any consideration by way of remuneration or compensation or any other form whatsoever, from any person other

than the client being advised, in respect of the underlying products or securities for which advice is provided to the client.

(h) Any other information considered relevant to the nature of services to be rendered by the applicant.

7. DECLARATION STATEMENT

(Date and Place)

I/We hereby agree and declare that the information supplied in the application, including the attachment sheets, is complete and true.

AND I/ we further agree that, I/we shall notify the Securities and Exchange Board of India immediately any change in the information provided in the application.

I/ We further agree that I/ we shall comply with, and be bound by the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, and the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 2013, guidelines/instructions as may be announced by the Securities and Exchange Board of India from time to time.

I/ We further agree that as a condition of registration, I/ we shall abide by such operational instructions/directives as may be issued by the Securities and Exchange Board of India from time to time.

For and on behalf of	
(Name of the applicant)	
Authorized signatory/ Applicant	
(Signature)	•

FORM B

Securities and Exchange Board of India (Investment Adviser) Regulations, 2013 [See regulation 9]

Certificate of registration as investment adviser

I. In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), read with the regulations made there under, the Board hereby grants a certificate of registration to	
as an investment adviser subject to the conditions specified in the Act and in the regulations made thereunder.	
II. The Registration Number of the investment adviser is	
IN/IA/	
Date:	
Place: MUMBAI	
IN/IA/ Date :	

By Order
Sd/For and on behalf of
Securities and Exchange Board of India

SECOND SCHEDULE

Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 2013

[see regulation 9]

FEES

- 1. Every applicant shall pay non-refundable application fees of five thousand rupees along with the application for grant or renewal of certificate of registration.
- 2. Applicants which are individuals and firms shall pay a sum of ten thousand rupees as registration/ renewal fee at the time of grant or renewal of certificate by the Board.
- 3. A body corporate shall pay a sum of one lakh rupees as registration/ renewal fee at the time of grant or renewal of certificate by the Board.
- 4. The fee referred to in paragraph 1, 2 and 3 shall be paid by the applicant within fifteen days from the date of receipt of intimation from the Board by a demand draft in favor of 'Securities and Exchange Board of India' payable at Mumbai or at respective regional or local office.

THIRD SCHEDULE

Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 2013

[See sub-regulation (9) of regulation 15]

CODE OF CONDUCT FOR INVESTMENT ADVISER

1. Honesty and fairness

An investment adviser shall act honestly, fairly and in the best interests of its clients and in the integrity of the market.

2. Diligence

An investment adviser shall act with due skill, care and diligence in the best interests of its clients and shall ensure that its advice is offered after thorough analysis and taking into account available alternatives.

3. Capabilities

An investment adviser shall have and employ effectively appropriate resources and procedures which are needed for the efficient performance of its business activities.

4. Information about clients

An investment adviser shall seek from its clients, information about their financial situation, investment experience and investment objectives relevant to the services to be provided and maintain confidentiality of such information.

5. Information to its clients

An investment adviser shall make adequate disclosures of relevant material information while dealing with its clients.

6. Fair and reasonable charges

An investment adviser advising a client may charge fees, subject to any ceiling as may be specified by the Board, if any. The investment adviser shall ensure that fees charged to the clients is fair and reasonable.

7. Conflicts of interest

An investment adviser shall try to avoid conflicts of interest as far as possible and when they cannot be avoided, it shall ensure that appropriate disclosures are made to the clients and that the clients are fairly treated.

8. Compliance

An investment adviser including its representative(s) shall comply with all regulatory requirements applicable to the conduct of its business activities so as to promote the best interests of clients and the integrity of the market.

9. Responsibility of senior management

The senior management of a body corporate which is registered as investment adviser shall bear primary responsibility for ensuring the maintenance of appropriate standards of conduct and adherence to proper procedures by the body corporate.

U. K. SINHA, Chairman [ADVT. III/4/Exty.69-Z/B]